रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-ए.पी.-अ.-09112020-223008 CG-AP-E-09112020-223008

> असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474] No. 474] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 9, 2020/ कार्तिक 18, 1942 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 9, 2020/KARTIKA 18, 1942

भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान

अधिसूचना

विशाखापट्टणम, 2 नवम्बर, 2020

सं. CA-31037/5/2019-CA/PNG.—निम्नलिखित को सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है: -

अध्याय - 1

छात्रों का संस्थान में प्रवेश {आईआईपीई अधिनियम, 2017 की घारा 34 (ए)}

1. संस्थान प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.टेक), प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर (एम.टेक), विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एससी), विशिष्ट कार्यक्रम निर्दिष्ट क्षेत्रों और डॉक्टरेट (शोध) के अंतर्गत पाठ्यक्रमों की योजना और आयोजन करेगा।

1.1. प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.टेक)

क्र. संख्या.	कार्यक्रम	अवधि	कुल प्रवेश
1	रसायन अभियांत्रिकी	4 वर्ष	50
2	पेट्रोलियम अभियांत्रिकी	4 वर्ष	50

1.2. बी.टेक कार्यक्रम में प्रवेश वर्ष में एक बार जुलाई माह में, आई आई टी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)– एडवांस्ड में रैंकिंग के आधार पर दिये जाएँगे।

5435 GI/2020 (1)

- 1.3. बी.टेक कार्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार को उस साल की संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे ई ई) एडवांस्ड की योग्यता सूची में रैंक के साथ-साथ इन मानदंडों को पूरा करना होगा। उम्मीदवारों को न्यूनतम 75% अंकों के साथ (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणियों के छात्रों के लिए 65% अंक) विज्ञान विषयों सहित इंटरमीडिएट या 10+2 (पीसीएम)या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- 1.4. **आवेदन कैसे करें**: पैरा- 1.2 और 1.3 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करने वाले सभी उम्मीदवारों को भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) द्वारा अलग से विज्ञापन देने पर आवेदन शुल्क भुगतान करने के बाद 'www .iipe.ac.in' पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- 1.5. बी.टेक कार्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए दर पर ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे:

क्रम सं.	श्रेणियाँ	पंजीकरण शुल्क
क)	सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	1000.00 (एक हजार रुपये मात्र)
ख)	अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)	500.00 (पाँच सौ रुपये मात्र)
	/दिव्यांग व्यक्ति (पीडीएस)	

2. एम. टेक./ पीएच.डी. में प्रवेश

भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान एक "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" है जो प्रशिक्षित मानव शक्ति को विस्तार देने और पेट्रोलियम और ऊर्जा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। एम.टेक कार्यक्रम में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के पहले सेमेस्टर में केमिकल और पेट्रोलियम अभियांत्रिकी की शाखाओं में संस्थान प्रवेश देता है। पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए नामांकन विज्ञान और अभियांत्रिकी की विभिन्न शाखाओं में एक शैक्षिक वर्ष में सामान्यतः दोनों सेमेस्टर की शुरुआत में किया जाता है।

एम.टेक और पीएच.डी.कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" और भारत के अन्य प्रमुख संस्थानों के समान हैं।

2.1 रसायन अभियांत्रिकी कार्यक्रम में एम.टेक के लिए पात्रता:

योग्यता परीक्षा में प्रथम श्रेणी या न्यूनतम 60% अंकों या 6.0 सीपीआई (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 55% अंक या 5.5 सीपीआई) के साथ रसायन अभियांत्रिकी में 4-वर्षीय बी.टेक या बी.ई. डिग्री और एक वैध गेट प्राप्तांक।

2.2 पेट्रोलियम अभियांत्रिकी कार्यक्रम में एम.टेक के लिए पात्रता:

योग्यता परीक्षा में प्रथम श्रेणी या न्यूनतम 60% अंकों या 6.0 सीपीआई (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 55% अंक या 5.5 सीपीआई) के साथ पेट्रोलियम/ पेट्रोकेमिकल/ रसायन/ इलेक्ट्रिकल/ यांत्रिक/ औद्योगिक और विनिर्माण/ सिविल अभियांत्रिकी में 4-वर्षीय बी.टेक या बी.ई. डिग्री और एक वैध गेट प्राप्तांक।

प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए, वैध गेट स्कोर आवश्यक नहीं है। छात्र को साक्षात्कार के समय इन दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता है-

प्रायोजक संगठन से अनापत्ति प्रमाण पत्र, उचित अवधि के लिए छुट्टी की स्वीकृति, चार सेमेस्टर के लिए अध्यापन शुल्क और आकस्मिकता के लिए वित्तीय स्वीकृति।

2.3. पीएचडी कार्यक्रम के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार है:

उपयुक्त विषय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से एक:

- संबंधित अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी या 60% अंक (एससी / एसटी / पीएच के लिए 55% अंक)/ 6.0 की सीजीपीए या सीपीआई के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ई. / एम.टेक.) या समकक्ष और गेट परीक्षा का योग्य स्कोर जो कि अर्हक संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त एम.टेक. डिग्री से पहले या बाद में किया गया है।
- सम्बद्ध अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी या 60% अंक (एससी / एसटी / पीएच के लिए 55% अंक) / 6.0 की सीजीपीए या सीपीआई के साथ स्नातक डिग्री और एक वैध गेट प्राप्तांक।

संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी या 60% अंक (एससी / एसटी / पीएच के लिए 55% अंक) / 6.0 की सीजीपीए या सीपीआई
के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और गेट का वैध स्कोर /सीएसआईआर-नेट/ जेयूसीसी-नेट/ सीएसआईआरजेयूसीसी /
एनबीएचएम/ डीबीटी / जीपीएटी / राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप / मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप / डीएसटी
इंस्पायर अवार्ड या इसी तरह की कोई फ़ेलोशिप होनी चाहिए।

3. प्रायोजित श्रेणी:

- ये उम्मीदवार मान्यता प्राप्त निगमों या आर एंड डी संगठनों द्वारा पूर्णकालिक / अंशकालिक आधार पर संस्थान में शोध कार्य करने के लिए प्रायोजित होते हैं। उम्मीदवारों को संस्थान में पूर्णकालिक / अंशकालिक अनुसंधान कार्य के लिए पूर्ण वेतन के साथ तीन वर्ष (पूर्णकालिक) / एक वर्ष (अंशकालिक) के लिए कार्यमुक्त किए जाने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें संस्थान से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। आर एंड डी प्रतिष्ठान में काम करने वाले और मातृ संस्था में शोध करने के इच्छुक उम्मीदवार को अपने संगठन में मौजूद अनुसंधान सुविधाओं और उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी और एक प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा कि ये उन्हें अनुसंधान करने के लिए उपलब्ध होंगे। उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता की सहमित प्रस्तुत करनी होगी। प्रायोजन श्रेणी के तहत उम्मीदवार को गेट / नेट की योग्यता होना आवश्यक नहीं है। यह अनिवार्य नहीं है।
- प्रवेश प्रक्रिया संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचित एम.टेक. और पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश की घोषणा के साथ शुरू होती है। विभिन्न एम.टेक और पीएच.डी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए घोषणा रोजगार समाचार, भारत के विभिन्न समाचार पत्रों, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं।
- संबंधित विभागों द्वारा चयन के सभी मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों की एक संक्षिप्त सूची तैयार की जाती है।
- संक्षिप्त सूची में दर्ज़ किए गए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद संस्थान में मौखिक परीक्षा होती है।
- उम्मीदवारों की एक अंतिम प्रावीण्यता सूची पिछली योग्यता परीक्षा (बी. टेक., एम. टेक.), गेट स्कोर, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और मौखिक परीक्षा को उपयुक्त महत्व प्रदान कर तैयार की जाती है। सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, ओबीसी श्रेणी और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश मानदंड के अनुसार अलग-अलग प्रावीण्यता सूची तैयार की जाती है।
- विभिन्न श्रेणियों के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार है।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारियों से उनके दावों के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को अधिकृत मेडिकल डॉक्टरों / अस्पतालों से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो शारीरिक विकलांगता की सीमा और डिग्री या प्रतिशत को दर्शाता है। विकलांगता के प्रतिशत को संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा बोर्ड द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाता है, इससे पहले कि उम्मीदवार को लाभ का प्रस्ताव बढ़ाया जाए।
- प्रत्येक श्रेणी में चयनित उम्मीदवारों को एक सूचना भेजी जाएगी और उसे सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र के मूल प्रतियों और बैंक ड्राफ्ट के रूप में पंजीकरण शुल्क के साथ संस्थान में पंजीकरण की तारीख पर उपस्थित होना होगा। उम्मीदवारों, जो पूर्व सूचना और अनुमोदन के बिना पंजीकरण प्रक्रिया के लिए हाजिर होने में विफल रहते हैं, उन्हें कार्यक्रम से हटा दिया जाएगा और उस सीट को प्रावीण्यता सूची में अगले प्रतीक्षारत उम्मीदवार को आवंटित किया जाएगा।

अध्याय 2

अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण

{आईआईपीई अधिनियम, 2017 की धारा - 34 (बी)}

- स्नातक. स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट और संस्थान के ऐसे अन्य सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, अनुसूचित जाति (एससी), 2.1 अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-नॉन क्रीमी लेयर), इडब्ल्यूएस और विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, सीटें आरक्षित होंगी। ।
- 2.2 भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रमों में सीटें निम्नानुसार आरक्षित होंगी:

क) अनुसूचित जाति (एससी) : 15% ख) अनुसूचित जनजाति (एसटी) : 7.5% ग) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-नॉन क्रीमी लेयर) : 27%

घ) दिव्यांग (पीडीएस) : 3% * (क्षैतिज)

और भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% और महिला उम्मीदवारों के लिए अधिसंख्य सीटों सहित समय-समय पर अधिनियमित अन्य आरक्षण लागू होगा।

- सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेरिट सूची आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को उपर्युक्त पैरा -२.२ के अनुसार सीटें आवंटित 2.3 करके प्रत्येक शाखा के लिए अलग से प्रकाशित की जाएगी।
- अनुसुचित जाति / अनुसुचित जनजाति / अन्य पिछुड़ा वर्ग / पीडीएस के उम्मीदवार अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप में 2.4. आवेदन जमा करने के समय अपनी श्रेणी का उल्लेख करेंगे और काउंसलिंग के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित आरक्षित श्रेणी के मूल जाति प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करेंगे।
- 2.5. आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को, कि वे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग, जो भी उम्मीदवार की श्रेणी है, को दर्शाते हुए अनुमोदित जिला प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। अनुमोदित अधिकारियों की एक सूची नीचे दी गई है: -
 - जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मजिस्ट्रेट / डिप्टी कमिश्नर / कलेक्टर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी के वृत्तिका ग्राही मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट (जो प्रथम श्रेणी के वृत्तिका ग्राही मजिस्ट्रेट के पद से नीचे न हो), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
 - राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो।
 - उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और / या उसके परिवार के सदस्य सामान्य रूप से रहते हैं।
 - प्रशासक / प्रशासन के सचिव / विकास अधिकारी लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह)
- 2.6. आरक्षित श्रेणियों / वर्गों के तहत प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार अनिवार्य रूप से काउंसलिंग के समय अपने नाम के पर जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करेंगे। माता-पिता के नाम पर जारी प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

^{*} आरक्षण समग्र श्रेणी में क्षैतिज रूप से वितरित किया जाता है।

- 2.7. ओबीसी-नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र की वैधता 1 वर्ष होगी (कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 मार्च 2016 को डीओपीटी द्वारा जारी किया गया), इसलिए इस श्रेणी के उम्मीदवार ओबीसी- नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो उसी वित्तीय वर्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- 2.8. विकलांग व्यक्तियों के प्रावधान अधिनियम 1995 (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) के तहत शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों की जांच के लिए जिला / सरकारी अस्पताल के विधिवत अधिसूचित मेडिकल बोर्ड द्वारा अलग से एबल्ड पर्सन्स (पीडी) का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- 2.9. दिव्यांग व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भौतिक (शारीरिक) बाधा (यानी प्रतिशत) की सीमा को इंगित करेगा, इसमें संबंधित उम्मीदवार की तस्वीर होनी चाहिए, और प्रमाण पत्र जारी करने वाले परामर्श मंडल के डॉक्टरों में से एक को इसे प्रतिहस्ताक्षरित भी करना चाहिए।
- 2.10. 3% आरक्षण विकलांग व्यक्तियों के लिए सभी श्रेणियों में क्षैतिज रूप से वितरित किया जाता है और 40% से कम विकलांग व्यक्ति के विषय में विचार नहीं किया जाएगा।

अध्याय 3

सभी स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन का पाठ्यक्रम {आईआईपीई अधिनियम, 2017 की धारा -34 (सी)}

पाठ्यक्रम :- बी. टेक. अध्ययन का विषय : पेट्रोलियम अभियांत्रिकी

वर्ष और सेमेस्टर	पाठ्यक्रम शीर्षक
प्रथम सेमेस्टर (प्रथम वर्ष)	अभियांत्रिकी गणित - I भौतिकीय रसायन यंत्र विज्ञान अभियांत्रिकी भू-ऊर्जा और पर्यावरण विद्युत प्रणालियों के मूल सिद्धान्त संचार के लिए अंग्रेजी अभियांत्रिकी ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स भौतिकीय रसायन विज्ञान प्रयोगशाला ईएए – I
द्वितीय सेमेस्टर (प्रथम वर्ष)	अभियांत्रिकी गणित - II सामग्री की शक्ति पॉलिमर और सर्फेक्टेंट प्रोग्रामिंग और डेटा संरचना पेट्रोलियम अभियांत्रिकी का परिचय जैविक प्रणालियों के मूल सिद्धान्त कार्बनिक रसायन प्रयोगशाला विद्युत प्रणाली प्रयोगशाला ईएए - II
तृतीय सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष)	कैलक्यूलस, संभाव्यता और सांख्यिकी रूपांतरण संख्यात्मक विधियाँ द्रव यांत्रिकी और गुणक प्रवाह अवसादी और पेट्रोलियम भूविज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार प्रयोगशाला कर्मशाला ईएए - III
चतुर्थ सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष)	अग्रिम सांख्यिकीय तकनीक

	ऊष्मप्रवैगिकी संतुलन अवस्था
	भूयांत्रिकी
	छिद्रयुक्त माध्यम में परिवहन
	कूप संलेखन
	ईंधन प्रयोगशाला
	द्रव प्रवाह प्रयोगशाला और अभिरचना
	ईएए - IV
	औद्योगिक मनोविज्ञान और व्यावसायिक नैतिकता
	रिजर्वायर अभियांत्रिकी ।
पंचम सेमेस्टर (तृतीय वर्ष)	हाइड्रोकार्बन उत्पादन अभियांत्रिकी ।
144 (4(3)	वेधन और जलीय विभंजन प्रौद्योगिकी
	उपकरण और प्रक्रिया नियंत्रण
	वेधन और विभंजन प्रयोगशाला
	रिजर्वायर अभियांत्रिकी ॥
	हाइड्रोकार्बन उत्पादन अभियांत्रिकी II
	उन्नत वेधन प्रौद्योगिकी
षष्टम सेमेस्टर (तृतीय वर्ष)	पाइपलाइन अभियांत्रिकी
	वैकल्पिक I
	रिजर्वायर अभियांत्रिकी प्रयोगशाला
	उपकरण और प्रक्रिया नियंत्रण प्रयोगशाला
	प्रक्रिया सुरक्षा
	रिजर्वायर सिमुलेशन
सप्तम सेमेस्टर (चतुर्थ वर्ष)	वैकल्पिक II
सप्तम समस्टर (चतुय वष)	प्रक्रिया उद्योग के लिए डेटा एनालिटिक्स और ए.आई.
	उत्पादन अभियांत्रिकी प्रयोगशाला
	औद्योगिक प्रशिक्षण
	परियोजना I
	परियोजना अभियांत्रिकी और प्रबंधन
	वैकल्पिक III
	वैकल्पिक IV
अष्टम सेमेस्टर (चतुर्थ वर्ष)	वैकल्पिक V
	जलाशय अनुकरण प्रयोगशाला
	परियोजना ॥
	व्यापक मौखिक परीक्षा

	वैकल्पिक			
वैकल्पिक - I	अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन साधन	जैव ऊर्जा	अपशिष्ट जल प्रबंध	औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रबंधन तकनीक
वैकल्पिक - II	वर्धित तेल पुनर्प्राप्ति	सौर ऊर्जा, फोटोवोल्टिक ऊर्जा	उन्नत पृथक्करण	उन्नत सामग्री डिजाइन
वैकल्पिक - III	ऑफशोर और गहन समुद्री तकनीक	परमाणु हवा और भू-तापीय ऊर्जा	खतरनाक अपशिष्ट उपचार और सुरक्षा उपकरण	विश्लेषणात्मक तकनीक
वैकल्पिक - IV	उन्नत <i>रिजर्वायर</i> मोडलिंग	पेट्रोलियम रिफाइनरी	वायु प्रदूषण	ट्राइबोलॉजी और स्नेहक का परिचय

		अभियांत्रिकी		
वैकल्पिक - V	पूर्वेक्षण, क्षेत्र विकास और परिसंपत्ति प्रबंधन	पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी	हाइड्रोकार्बन उद्योग के लिए नैनो सामग्री	प्रक्रिया मॉडलिंग और सिमुलेशन

पाठ्यक्रम :- बी. टेक. अध्ययन का विषय : रसायन अभियांत्रिर्क

पाठ्यक्रम :- बी. टेक. अध्य	अध्ययन का विषय : रसायन अभियांत्रिकी		
वर्ष और सेमेस्टर	पाठ्यक्रम शीर्षक		
	अभियांत्रिकी गणित - I		
	भौतिक रसायन		
	यंत्र विज्ञान अभियांत्रिकी		
	पृथ्वी ऊर्जा और पर्यावरण		
प्रथम सेमेस्टर (प्रथम वर्ष)	विद्युत प्रणालियों के मूल सिद्धान्त		
	संचार के लिए अंग्रेजी		
	अभियांत्रिकी ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स		
	भौतिक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला		
	ई ए ए - ।		
	अभियांत्रिकी गणित - II		
	सामग्री की ताकत		
	पॉलिमर और सर्फेक्टेंट		
	प्रोग्रामिंग और डेटा संरचना		
द्वितीय सेमेस्टर (प्रथम वर्ष)	रसायन अभियांत्रिकी का परिचय		
	जैविक प्रणालियों के मूल तत्व		
	कार्बनिक केमिस्ट्री प्रयोगशाला		
	विद्युतीय प्रणाली प्रयोगशाला		
	ई ए ए - I I		
	कैलक्यूलस, संभाव्यता और सांख्यिकी रूपांतरण		
	संख्यात्मक विधियाँ		
	द्रव यांत्रिकी और बहुस्तरीय प्रवाह		
	रासायनिक प्रक्रिया की गणना		
	सूचना प्रौद्योगिकी		
तृतीय सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष)	नवाचार प्रयोगशाला		
	कर्मशाला -		
	ईएए -		
	अग्रिम सांख्यिकीय तकनीक		
	रासायनिक अभियांत्रिकी ऊष्मा गतिकी		
	ताप का हस्तांतरण		
	रासायनिक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी रासायनिक प्रतिक्रिया अभियांत्रिकी		
चतुर्थ सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष)	द्रव प्रवाह प्रयोगशाला और अभिरचना		
	ईंधन प्रयोगशाला		
	ईएए - IV		
	फ्यूल लैबई ए ए IV		
	औद्योगिक मनोविज्ञान और व्यावसायिक नैतिकता		
	द्रव्यमान स्थानांतरण ।		
11-11 11-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	प्रतिक्रिया अभियांत्रिकी ॥		
पंचम सेमेस्टर (तृतीय वर्ष)	उपकरण और प्रक्रिया नियंत्रण		
	कण प्रौद्योगिकी		
	जैव रसायन अभियांत्रिकी		
	प्रतिक्रिया अभियांत्रिकी प्रयोगशाला		

	ताप स्थानांतरण और कण प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला
	द्रव्यमान स्थानांतरण II
	परिवहन घटना
	कंप्यूटर युक्त प्रक्रिया अभियांत्रिकी
षष्टम सेमेस्टर (तृतीय वर्ष)	प्रक्रिया उपकरण डिजाइन
	वैकल्पिक I
	अर्थशास्त्र
	उपकरण और प्रक्रिया नियंत्रण प्रयोगशाला
	वैकल्पिक II
	प्रक्रिया उद्योग के लिए तथ्य वैश्लेषिकी और ए.आई.
सप्तम सेमेस्टर (चतुर्थ वर्ष)	परियोजना अभियांत्रिकी और प्रबंधन
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((प्रक्रिया सुरक्षा
	औद्योगिक प्रशिक्षण
	द्रव्यमान स्थानांतरण प्रयोगशाला
	परियोजना ।
	प्रक्रिया एकीकरण और प्रणाली अभिरचना
	वैकल्पिक III
अष्टम सेमेस्टर (चतुर्थ वर्ष)	वैकल्पिक IV
	वैकल्पिक V
	परियोजना II
	व्यापक मौखिक परीक्षा

	वैकल्पिक			
वैकल्पिक - I	अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन साधन	जैव ऊर्जा	अपशिष्ट जल प्रबंध	औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रबंधन तकनीक
वैकल्पिक - II	वर्धित तेल पुनर्प्राप्ति	सौर ऊर्जा, फोटोवोल्टिक ऊर्जा	उन्नत पृथक्करण	उन्नत सामग्री डिजाइन
वैकल्पिक - III	ऑफशोर और गहन समुद्री तकनीक	परमाणु हवा और भू-तापीय ऊर्जा	खतरनाक अपशिष्ट उपचार और सुरक्षा उपकरण	विश्लेषणात्मक तकनीक
वैकल्पिक - IV	उन्नत <i>जलाशय</i> मोडलिंग	पेट्रोलियम रिफाइनरी अभियांत्रिकी	वायु प्रदूषण	ट्राइबोलॉजी और स्नेहक का परिचय
वैकल्पिक - V	पूर्वेक्षण, क्षेत्र विकास और परिसंपत्ति प्रबंधन	पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी	हाइड्रोकार्बन उद्योग के लिए नैनो सामग्री	प्रक्रिया मॉडलिंग और सिमुलेशन

अनुलेख: स्नातकोत्तर कार्यक्रम, डॉक्टरेट कार्यक्रमों और अन्य पाठ्यक्रमों के विवरण अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ बाद में अध्यादेशों में प्रदर्शित किए जाएंगे।

अध्याय 4

स्नातकीय और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में डिग्री प्रदान करने के लिए पात्रता की शर्तें या मानदंड सहित संबंधित नियम, विनियम और प्रक्रियाएँ

{आईआईपीई अधिनियम, 2017 की धारा - 34 (डी)}

4.1 क्रेडिट प्रणाली

- 4.1.1 परिचय
- 4.1.2 एक पाठ्यक्रम में क्रेडिट की संख्या
- 4.1.3 पाठ्यक्रम विवरण
- 4.1.4 डिग्री की आवश्यकताएँ

4.2 ग्रेडिंग प्रणाली

- 4.2.1 ग्रेड प्रदान करना
- 4.2.2 सीजीपीए का अंक प्रतिशत में रूपांतरण
- 4.2.3 प्रदर्शन का आकलन
- 4.2.4 वृहत वर्ग का आकलन
- 4.2.5 औद्योगिक प्रशिक्षण
- 4.2.6 परियोजना कार्य का आकलन
- 4.2.7 परीक्षा
- 4.2.8 क्लास टेस्ट, मिड-सेमेस्टर और एंड-सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थिति
- 4.2.9 अनुपूरक परीक्षाएं
- 4.2.10 परिणामों की घोषणा
- 4.2.11 ग्रेड संशोधन
- 4.2.12 ग्रेड की रोक
- 4.2.13 आगामी वर्ष में प्रोन्नति और अध्ययन बंद करना
- 4.2.14 स्नातक के लिए आवश्यकताएँ
- 4.2.15 संस्थान से **वापसी**
- 4.2.16 संस्थान की रोल सूची से नाम का हटाव
- 4.2.17 छूट
- 4.2.18 छात्रों की आचार संहिता

4.3 पंजीकरण प्रक्रिया

- 4.3.1 पूर्व पंजीकरण आवश्यकताएँ
- 4.3.2 पंजीकरण की तिथि और स्थान
- 4.3.3 बकाया राशि का भुगतान
- 4.3.4 पाठ्यक्रमों की सूचना / सलाह
- 4.3.5 यूजी छात्रों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश (प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर)
- 4.3.6 विपंजीकरण
- 4.3.7 अध्ययन विषय का परिवर्तन
- 4.3.8 शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्र

4.1 क्रेडिट प्रणाली

4.1.1 परिचय

क्रेडिट प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं इसमें शामिल हैं –

- क) छात्र के प्रदर्शन के निरंतर मूल्यांकन की प्रक्रिया,
- ख) छात्रों को व्यक्तिगत क्षमता के अनुकूल प्रगति करने की अनुमति देने के लिए नम्रता और सुविधा,
- ग) क्रेडिट आवश्यकताओं और पाठ्यक्रमों की पूर्व-आवश्यकता के नियमों के अधीन।

प्रत्येक पाठ्यक्रम में निश्चित संख्या में क्रेडिट दिए गए हैं। यह एक हफ्ते में व्याख्यान, ट्यूटोरियल और प्रयोगशाला संपर्क घंटे के साथ छात्र द्वारा एक सप्ताह में औपचारिक अध्ययन समय के अलावा बिताए जाने वाले अपेक्षित समय पर निर्भर करता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम को एक संकाय सदस्य द्वारा समन्वित किया जाता है, जिसे 'कोर्स इंस्ट्रक्टर' (पाठ्यक्रम अनुदेशक) कहा जाता है (इंस्ट्रक्टर-इन-चार्ज (अनुदेशक प्रभारी) भी कहा जाता है)। उनके पास पाठ्यक्रम के संचालन, उस पाठ्यक्रम में शामिल संकाय के अन्य सदस्यों के काम का समन्वय, परीक्षा आयोजित करने और ग्रेड प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी होती है। किसी भी कठिनाई के मामले में छात्र से सलाह और स्पष्टीकरण के लिए पाठ्यक्रम प्रशिक्षक से संपर्क करने की अपेक्षा की जाती है। कभी-कभी, एक से अधिक संकाय सदस्य पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं, इस मामले में वे संयुक्त रूप से कोर्स इंस्ट्रक्टर'(पाठ्यक्रम अनुदेशक) होंगे।

प्रत्येक पाठ्यक्रम में, जिसके लिए एक छात्र पंजीकृत होता है, एक अक्षर श्रेणी प्रदान किया जाता है, जिसका एक निर्दिष्ट श्रेणी अंक होता है।

4.1.2 पाठ्यक्रम में क्रेडिट की संख्या

प्रत्येक कोर्स के लिए एल-टी-पी-सी निम्नानुसार दिखाए गए हैं:

एल (व्याख्यान) : प्रति सप्ताह व्याख्यान घंटे की संख्या। **टी** (ट्यूटोरियल) : प्रति सप्ताह ट्यूटोरियल घंटों की संख्या। **पी** (प्रयोगात्मक / प्रयोगशाला) : प्रति सप्ताह प्रयोगशाला घंटे की संख्या।

सी (क्रेडिट) : कोर्स के लिए क्रेडिट।

क्रेडिट प्रति घंटे एक छात्र के प्रति सप्ताह काम करने की संख्या को दर्शाता है, जिसमें संपर्क समय को सम्मिलित किया जाता है। क्रेडिट की एक निश्चित संख्या को निम्नानुसार समनुदेशित किया गया है।

दिए गए पाठ्यक्रम के शैक्षणिक भार, **ए एल**, की गणना प्रति सप्ताह संपर्क घंटे की संख्या का उपयोग करके की जाती है:

पाठ्यक्रम के शैक्षणिक भार के आधार पर, इसके क्रेडिट, सी, को निम्नानुसार सौंपा गया है:

शैक्षणिक भार (ए एल) =	5-6	7-8	9-12	13-15
क्रेडिट (सी) =	2	3	4	5

अधिकांश पाठ्यक्रमों में 4 क्रेडिट होते हैं, अर्थात् सी = 4. 4 क्रेडिट वाले पाठ्यक्रम के लिए, आमतौर पर एक छात्र को प्रति सप्ताह लगभग 12 से 14 घंटे काम करना होगा। बेशक यह व्यक्ति की क्षमता के साथ अलग-अलग होगा।

एम. टेक / पीएच.डी के लिए, प्रत्येक पाठ्यक्रम में 4 क्रेडिट होंगे।

4.1.3 पाठ्यक्रम विवरण

सभी कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम के साथ-साथ विभिन्न विषयों के लिए विस्तृत अनुमोदित पाठ्यक्रम संस्थान की वेबसाइट http://iipe.ac.in पर उपलब्ध कराया गया है।

4.1.3.1 सामान्य पाठ्यक्रम संरचना

बी. टेक के सभी कार्यक्रमों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

- क) प्रथम वर्ष के लिए सामान्य पाठ्यक्रम।
- ख) सिद्धांत और प्रयोगशाला / डिजाइन / नियमित विषय के साथ नियमित कक्षा कक्ष संपर्क।
- ग) 1 से 4 वें सेमेस्टर के अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधि (ईएए) के चार गैर-क्रेडिट घटक।
- घ) औद्योगिक प्रशिक्षण।
- ङ) मौखिक परीक्षा
- च) दो भागों में परियोजनाएँ।

4.1.3.2 विषय:

ईएए को छोड़कर पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी विषयों के क्रेडिट उन्हें प्रदत्त किए जाते हैं। विषयों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- क) सिद्धांत, प्रयोगशाला, सत्रीय और डिजाइन आधारित पाठ्यक्रम में एक नियमित कक्षा कक्ष / प्रयोगशाला संपर्क है। इन विषयों में प्रति सप्ताह संपर्क घंटे इंगित करने के लिए एक व्याख्यान-ट्यूटोरियल-प्रयोग / डिजाइन घटक (एल-टी-पी) है। उनका एल-टी-पी पैटर्न (एल-टी-0, एल-0-0, 0-0-पी, और कुछ मामलों में एल-टी-पी) हो सकता है।
- ख) व्यापक मौखिक परीक्षा, परियोजना, अध्ययन यात्रा और औद्योगिक प्रशिक्षण / कार्यालय प्रशिक्षण जिसमें नियमित रूप से क्लास रूम संपर्क नहीं होता है।
- ग) विषयों के शिक्षण को क्रेडिट के संदर्भ में माना जाएगा।

4.1.3.3 विषय पूर्व आवश्यकताएं

एक पाठ्यक्रम विषय के लिए एक या एक से अधिक पूर्व-अपेक्षित विषय सूचीबद्ध हो सकते हैं। एक छात्र जो सभी पूर्व-अपेक्षित में पाठ्यक्रम विषयो में योग्य है, उसे विषय में पंजीकरण करने की अनुमित होगी। संबंधित शिक्षक के पास एक छात्र के लिए पूर्व-अपेक्षाओं को माफ करने का विशेषाधिकार होगा यदि वह एक परीक्षण के माध्यम से संतुष्ट है या यदि वह संतुष्ट है कि छात्र ने विषय लेने के लिए पर्याप्त प्रवीणता प्राप्त की है।

4.1.3.4 अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधि (ईएए):

प्रत्येक छात्र को ई ए ए पाठ्यक्रम में पंजीकृत होना होगा और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

- ईएए को चार मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे कि राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय खेल संगठन (एनएसओ) और हेल्थ एंड फिटनेस (एचएफ़)
- आगे एनसीसी को इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल अभियांत्रिकी विंग (ईएमई) और एयर विंग (एआरडब्ल्यू) में वर्गीकृत किया गया है।
- एनएसएस को 15 इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है।

- एनएसओ को विभिन्न खेलों जैसे एथलेटिक्स, बैडिमेंटन, बास्केट बॉल, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट में वर्गीकृत किया गया है।
- एचएफ को 10 इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है।
- उपरोक्त सभी ईएए कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत मॉड्यूल के माध्यम से डिजाइन और नियोजित कर समन्वित किये जा रहे हैं।
- छात्र प्रवेश के समय अपनी रुचि के ईएए घटक का चयन कर सकते हैं।
- ईएए घटक का आवंटन उनकी पसंद और उपलब्धता के आधार पर केंद्रीय रूप से किया जाता है।
- डिग्री प्राप्ति के लिए ईएए पास करना अनिवार्य है।
- इन विनियमों के तहत बी.टेक डिग्री के पुरस्कार की ओर अग्रसर कार्यक्रम की सामान्य अवधि 4 वर्ष है।

4.1.3.5 समन्वित पाठ्यक्रम

एक या अधिक विभागों / केंद्रों के एक से अधिक शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक समिति में सभी शिक्षकों को शामिल किया जाएगा जो सेमेस्टर के दौरान विषय के शिक्षण में शामिल हैं। इसके सदस्यों में से एक व्यक्ति को विषय के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए, विभाग के प्रमुख (विभागाध्यक्ष) द्वारा नामित किया जाएगा. जिसके अधीन विषय की पेशकश की जा रही है।

- कार्यकाल: सेमेस्टर जिसमें विषय की पेशकश की जा रही है।
- कार्य :
 - क) विषय की पाठ्यक्रम योजना को निर्धारित करने के लिए।
 - ख) विषय में शिक्षण के निर्देशों और प्रगति का समन्वय करना और यह सुनिश्चित करना कि पूरा पाठ्यक्रम कवर किया गया है।
 - ग) समय-समय पर उन छात्रों के प्रदर्शन की समीक्षा करना जो विषय में पंजीकृत हैं।
 - घ) प्रत्येक छात्र के परीक्षाओं के परिणाम और अंतिम ग्रेड संबंधित विभागाध्यक्ष के अधीन प्राप्त कर अग्रेषित करने के लिए।
 - ङ) विषय पर प्रश्न पत्र को परिनियमन और यह सुनिश्चित करना कि प्रश्न पत्र मे पाठ्यक्रम को कवर किया जा रहा है।
- बैठक की आवृत्ति: प्रत्येक समन्वय समिति सेमेस्टर के दौरान कम से कम चार बार बैठक करेगी।

4.1.3.6 औद्योगिक प्रशिक्षण और क्षेत्र कार्य।

सभी बी.टेक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम में 2 क्रेडिट के लिए 8 सप्ताह का अनिवार्य औद्योगिक प्रशिक्षण शामिल होगा, जिसे 6 वें सेमेस्टर के अंत में गर्मी की छुट्टी में किया जाएगा।

- क) कैरियर डेवलपमेंट सेंटर (सीडीसी) द्वारा सभी छात्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आवंटन प्रत्येक वर्ष एक उपयुक्त और निश्चित समय सीमा के अनुसार किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- ख) सीडीसी द्वारा किसी संगठन में चुने जाने के बाद कोई भी छात्र किसी भी परिस्थिति में संगठन से अपने प्रशिक्षण से बाहर नहीं हो सकता है।
- ग) उद्योग या शिक्षा (देश के भीतर या बाहर) में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था संबंधित विभागों के प्रशिक्षण के प्रोफेसर-इन-चार्ज के माध्यम से सीडीसी द्वारा भिजवायी जानी चाहिए चाहिए ।

घ) मूल्यांकन: ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण में छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके प्रशिक्षण के संगठन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने सहित संयुक्त मौखिक-परीक्षण/ प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।

4.1.4 डिग्री आवश्यकताएँ

स्नातक की डिग्री की आवश्यकताओं के संदर्भ में निर्दिष्ट हैं

- क) अर्जित किए जाने वाले न्यूनतम कुल क्रेडिट। ये प्रत्येक विभाग द्वारा तय किए जाएंगे और आम तौर पर 165 और 175 के बीच होंगे।
- ख) विभिन्न क्षेत्रों (अभियांत्रिकी, एचएसएस, विज्ञान, अन्य) में अर्जित किए जाने वाले न्यूनतम क्रेडिट। इनका विवरण बाद में दिया जाएगा, और वैकल्पिक विषयों के लिए विकल्प देते समय महत्वपूर्ण होगा।

	सारिणी 4.2.1		
प्रदर्शन	अक्षर ग्रेड	ग्रेड के अंक	
अति उत्कृष्ट	एक्स	10	
बहुत अच्छा	у	9	
अच्छा	बी	8	
मध्यम	सी	7	
औसत	डी	6	
उत्तीर्ण	पी	5	
अनुत्तीर्ण	एफ़	0	

ये आवश्यकताएं कार्यक्रम को लचीला बनाती हैं, क्योंकि जब तक वे न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करते हैं, तब तक छात्र अपने अलग-अलग हितों के आधार पर पाठ्यक्रम चुन सकते हैं।

एम. टेक के लिए डिग्री के लिए 72 क्रेडिट की आवश्यकता है। इनमें समर इंटर्नशिप के लिए 8 क्रेडिट शामिल हैं।

4.2 ग्रेडिंग प्रणाली

4.2.1 ग्रेड प्रदान करना

छात्रों के प्रदर्शन के एक उपाय 7-स्केल ग्रेडिंग प्रणाली के रूप में किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित अक्षर ग्रेड और ग्रेड के अंक का उपयोग है, जैसा कि **सारिणी 4.2.1** में दिखाया गया है।

इसके अलावा, एक ग्रेडिंग प्रतीक X होगा, जिसका उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि छात्र उस विशेष विषय में विपंजीकृत/ वंचित है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए एक "**सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट एवरेज (एसजीपीए)**" की गणना की जाएगी। **एसजीपीए** की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

एसजीपीए
$$==rac{\sum_{i=1}^{n}C_{i}g_{i}}{\sum_{i=1}^{n}C_{i}}$$

जहाँ \mathbf{n} सेमेस्टर के लिए **पंजीकृत और क्लियर** किए गए विषयों की संख्या है, \mathbf{C}_i एक विशेष विषय को आवंटित क्रेडिट की संख्या है, और \mathbf{g}_i विषय के लिए छात्र को प्रदान की गई अक्षर ग्रेड के अनुरूप ग्रेड के अंक हैं। एसजीपीए को दशमलव के दूसरे स्थान पर रखा जाएगा और इस तरह दर्ज किया जाएगा। **एसजीपीए** उस सेमेस्टर में छात्र के प्रदर्शन को इंगित करेगा, जिसे वह संदर्भित करता है।

प्रत्येक सेमेस्टर (5) के अंत में दूसरे सेमेस्टर से पहले, एक "क्युमुलेटिव ग्रेड प्वाइंट एवरेज (सीजीपीए)" की गणना प्रत्येक छात्र के लिए निम्नानुसार की जाएगी:-

सीजीपीए =
$$\frac{\sum_{i=1}^{m} C_i g_i}{\sum_{i=1}^{m} C_i}$$

जहाँ, m उन विषयों की कुल संख्या है, जिन्हें छात्र ने पहले सेमेस्टर से **पंजीकृत और क्लीयर** किया है, जिसमें सेमेस्टर S शामिल है। C_i किसी विशेष विषय (S_i) के लिए आवंटित क्रेडिट की संख्या है और और g_i विषय के लिए छात्र को प्रदान की गई अक्षर ग्रेड के अनुरूप ग्रेड के अंक हैं। सीजीपीए को दशमलव के दूसरे स्थान पर रखा जाएगा और इस तरह दर्ज किया जाएगा।

सीजीपीए छात्र के पहले सेमेस्टर से उस सेमेस्टर '5' के अंत तक के संचयी प्रदर्शन को दर्शाता है, जिसे वह संदर्भित करता है। सीजीपीए, एसजीपीए और एक सेमेस्टर में सभी विषयों में प्राप्त ग्रेड हर सेमेस्टर के अंत में प्रत्येक छात्र को सूचित किया जाएगा। छात्रों के समूह के भीतर मेरिट रैंकिंग निर्धारित करने के लिए, केवल सीजीपीए के राउंड ऑफ वैल्यू का उपयोग किया जाएगा।

जब किसी छात्र को किसी सेमेस्टर के दौरान किसी भी विषय में **एफ** ग्रेड मिलती है, तो उस सेमेस्टर से **एसजीपीए** और **सीजीपीए** की गणना अस्थायी रूप से की जाएगी, प्रत्येक ऐसे **एफ** ग्रेड के लिए केवल **शून्य अंक** लेते हैं। बाद के सेमेस्टर के दौरान बेहतर ग्रेड के द्वारा **एफ** ग्रेड को बेहतर ग्रेड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, **एसजीपीए** और सभी सेमेस्टर के **सीजीपीए**, शुरुआती सेमेस्टर से जिसमें एफ ग्रेड अपडेट किया गया है, से फिर से शुरू किया जाएगा और रिकॉर्ड किया जाएगा ग्रेड के इस बदलाव को ध्यान में रखें।

4.2.2 सीजीपीए का रूपांतरण प्रतिशत में

प्रतिशत अंक में सीजीपीए के रूपांतरण के संबंध में छात्रों / नियोक्ताओं द्वारा एक विशिष्ट प्रश्न के मामले में, निम्नलिखित सूत्र को प्रतिशत अंकों में सीजीपीए के रूपांतरण के लिए अपनाया जाएगा।

फॉर्मूला : प्रतिशत अंक = सीजीपीए × 10

4.2.3 प्रदर्शन का मूल्यांकन

पूरे सेमेस्टर में एक छात्र के प्रदर्शन का निरंतर मूल्यांकन होगा और इस उद्देश्य के लिए गठित विषय शिक्षक / समन्वय समिति द्वारा ग्रेड प्रदान किए जाएंगे।

4.2.3.1 सामान्य तौर पर अंक से ग्रेड का कोई कठोर अनुबंधन नहीं होगा। परीक्षा, परीक्षण, असाइनमेंट, मौखिक- परीक्षा और अन्य कारकों जो अंतिम अंकों में योगदान करते हैं के कठिनाई स्तर को किसी विषय के शिक्षक / समन्वय समिति द्वारा अंक से अक्षर ग्रेड में परिवर्तन के समय विचार किया जाता है।

4.2.3.2 (क) ग्रेड एफ और एक्स को बेंच मार्क ग्रेड माना जाता है।

- (ख) कट-ऑफ अंकों की सीमा जिसके नीचे एक छात्र को **एफ** ग्रेड दिया जाएगा, सैद्धान्तिक घटक के लिए 30-35 और प्रयोगशाला घटक के लिए 35-40 है, सटीक कट-ऑफ अंक शिक्षक/ समन्वय समिति द्वारा तय किया जाता है।
- (ग) असाधारण शानदार प्रदर्शन के लिए एक **एक्स** ग्रेड सौंपा जाना है। यहां तक कि किसी भी कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए **एक्स** ग्रेड से सम्मानित किये जाने क लिए प्रदर्शन पर्याप्त होना चाहिए।
- (घ) उन विषयों के लिए जिनके पास सैद्धान्तिक के साथ प्रयोगशाला घटक (पी-घटक) है, एफ से ऊपर किसी भी ग्रेड को सुरक्षित करने के लिए एक छात्र को सैद्धान्तिक घटक और प्रयोगशाला घटक दोनों में कट-ऑफ अंक से अधिक व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना है। अलग-अलग अंक, प्रत्येक में 100 (सौ) में से, सैद्धान्तिक घटक (एल- और टी- घटक) और प्रयोगशाला घटक में पहले प्राप्त करना है। विषय के लिए 100 में से एक संयुक्त अंक की गणना तब प्रयोगशाला घटक

(तालिका: 4.2.3.2a) और केवल सैद्धान्तिक घटक और केवल प्रयोगशाला घटक (तालिका: 4.2.3.2b) के समुचित योगदान लेने के द्वारा की जानी है जैसा कि सारिणी में दिखाया गया है:

सारिणी: 4.2.3.2a				
एल-टी-पी	क्रेडिट	सैद्धान्तिक (एल-टी घटक)	प्रयोगशाला (पी घटक)	
4-0-6	8	50	50	
3-0-6	7	40	60	
4-0-3	6	70	30	
3-1-3	6	70	30	
1-0-8	6	20	80	
3-1-2	5	80	20	
3-0-3	5	60	40	
3-0-2	4	75	25	
2-0-3	4	50	50	
1-0-5	4	25	75	
2-0-2	3	70	30	
1-0-3	3	30	70	
1-0-2	2	50	50	

सारिणी: 4.2.3.2b				
केवल सैद्धान्तिक केवल प्रयोगशाला				
अंक सीमा (m)	श्रेणी	अंक सीमा (m)	श्रेणी	
$m \ge 90$	Ex	<i>m</i> ≥ 90	Ex	
80 ≤ <i>m</i> < 90	Α	80 ≤ <i>m</i> < 90	Α	
70 ≤ m < 80	В	70 ≤ m < 80	В	
60 ≤ <i>m</i> < 70	С	60 ≤ <i>m</i> < 70	С	
50 ≤ <i>m</i> < 60	D	50 ≤ <i>m</i> < 60	D	
35 ≤ <i>m</i> < 50	Р	40 ≤ m < 50	Р	
m < 35	F	m < 40	F	

4.2.4 बड़े वर्ग का आकलन:

अपेक्षाकृत बड़े वर्ग और / या वर्गों के मामले में जहां प्रदर्शन स्तर में सामान्य वितरण कम या ज्यादा होता है:

- क) औसत प्रदर्शन (अंकों के औसत मूल्य के आसपास) को **सी** ग्रेड सौंपा जाना है। हालाँकि, यदि शिक्षक की / समन्वय समिति की धारणा के अनुसार कक्षा के सामान्य स्तर को प्रशंसनीय रूप से उच्च माना जाता है, तो औसत प्रदर्शन को **बी** ग्रेड सौंपा जा सकता है।
- ख) अन्य सभी अंकों से ग्रेड रूपांतरण को **एफ** और **एक्स** ग्रेड के बीच औसत प्रदर्शन के संबंध में अपेक्षाकृत किया जाना चाहिए, लेकिन एफ और एक्स ग्रेड, जो पहले से ही सौंपा गया है, ग्रेड के बीच उचित सीमा अंक चुनकर।
- ग) सामान्य रूप से, एक बहुत बड़े वर्ग के छात्रों के ग्रेडो वितरण का निम्नानुसार होने की उम्मीद है:

सारिणी: 4.2.4

श्रेणी	वितरण
एक्स (Ex)	≤ 10%
ए(A)	10 – 20 %
बी, सी, डी (B, C, D)	20 – 35 %
पी (P)	10 - 25%
एफ (F)	≤ 5%

- 4.2.4.1 उस मामले में जहां कोई छात्र पूरक परीक्षा में उपस्थित होता है या ग्रीष्मकालीन तिमाही में भाग लेता है, तो 'अंक से ग्रेड' में रूपांतरण उसी मानक को लागू करके किया जाएगा जो मूल कक्षा के लिए तैयार किया गया था।
- 4.2.4.2 उन कक्षाओं के लिए जहां अत्यधिक बंचिंग होती है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग सभी अंक एक ही श्रेणी में क्लस्टर हो जाते हैं, अंक से ग्रेड में रूपांतरण सारिणी 4.2.3.2b का उपयोग करके किया जा सकता है जहां *m* प्राप्त अंकों के लिए है। हालाँकि, शिक्षक, अपनाये गए मूल्यांकन प्रक्रिया के कठिनाई स्तर के बारे में अपनी धारणा पर, अंक की सीमा (कट-ऑफ) को ± 5 अंकों तक बदल सकते हैं।
- 4.2.4.3 उस विषय के लिए जिसमें सिद्धांत घटक 1 (एक) से अधिक है, इनको सौंपे गए उप-घटक और संबंधित भार नीचे दिए गए हैं

सारिणी: 4.2.4.3

उप-घटक	भार
शिक्षक का आकलन	20%
मध्य सेमेस्टर परीक्षा	30%
अंत सेमेस्टर परीक्षा	50%

- 4.2.4.4 शिक्षक का आकलन (टी ए) में अंक निर्धारण गृह कार्य, कक्षा-परीक्षण, ट्यूटोरियल, मौखिक-परीक्षा, उपस्थिति इत्यादि में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। किसी विषय के लिए कम से कम दो कक्षा-परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक द्वारा सेमेस्टर की शुरुआत में टी ए के विभिन्न उप-घटकों के भार की घोषणा की जानी है।
- 4.2.4.5 उन विषयों के लिए जिनमें सिद्धांत घटक 1 (एक) है, कोई मिड-सेमेस्टर या एंड- सेमेस्टर परीक्षा नहीं होगी। सिद्धांत घटक के अंक कक्षा-परीक्षणों, गृह कार्य, ट्यूटोरियल (यदि कोई हो), मौखिक-परीक्षा, उपस्थिति आदि में प्रदर्शन के आधार पर तय किए जाएंगे। ऐसे विषय के सिद्धांत घटक के लिए कम से कम दो कक्षा-परीक्षा आयोजित किए जाने हैं। शिक्षक द्वारा सेमेस्टर की शुरुआत में विभिन्न उप-घटकों के भार की घोषणा की जानी है।
- 4.2.4.6. प्रयोगशाला घटक (पी-घटक) में अंक निर्धारण के लिए प्रासंगिक उप-घटक दिन-प्रतिदिन के काम, नियमितता, परीक्षण (कम से कम दो का संचालन किया जाना चाहिए), असाइनमेंट, मौखिक-परीक्षा आदि हैं। अंतिम अंक तय करने में विभिन्न उप-घटकों के प्रतिशत भार की घोषणा सेमेस्टर की शुरुआत में की जानी चाहिए।
- 4.2.5 औद्योगिक प्रशिक्षण: छात्रों द्वारा छठे सेमेस्टर के बाद गर्मी की छुट्टियों में किये गए आठ सप्ताह के औद्योगिक प्रशिक्षण का मूल्यांकन सातवें सेमेस्टर के शुरू होने के बाद पांच सप्ताह के भीतर किया जायेगा। छात्रों को प्राप्त प्रशिक्षण पर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने और एक सेमिनार देने की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर एक ग्रेड प्रदान किया जाएगा। छात्रों को विभाग के प्रमुख को संगठन, जहां प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था, के सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में एक पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसके बिना उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

4.2.6 परियोजना कार्य का मूल्यांकन

4.2.6.1 परियोजना में शामिल विभिन्न गतिविधियों में प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा जिसमें इसे पाठ्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। छात्र को सेमेस्टर के अंत में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। विभाग के प्रमुख मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए एक "परियोजना मूल्यांकन बोर्ड" नियुक्त करेंगे। मूल्यांकन के विभिन्न घटकों और इन घटकों को दिए गए भार को नीचे सारिणी (4.2.6.1) में दर्शाया गया है:

सारिणी: 4.2.6.1

उप-घटक	भार
पर्यवेक्षक का मूल्यांकन	40%
परियोजना रिपोर्ट / थीसिस (बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किया जाना है)	20%
मूल्यांकन बोर्ड का मूल्यांकन	40%

छात्र को परियोजना के काम पर एक संगोष्ठी देने की आवश्यकता है। मूल्यांकन बोर्ड मौखिक परीक्षा का संचालन करेगा। अंत-सेमेस्टर परीक्षा के बाद दस दिनों के भीतर आयोजित होने वाले सेमिनार और मौखिक परीक्षा आयोजित करने की तारीखों की घोषणा अकादमिक कैलेंडर में की जाएगी।

4.2.6.2. बी.टेक. के लिए 7 वीं, 8 वीं सेमेस्टर की परियोजनाओं के लिए ग्रेड शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार ग्रेड जमा करने की संबंधित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। यदि कोई छात्र किसी भी कारण से, समय सीमा तक परियोजना को पूरा नहीं कर सकता है, तो उसे 'एफ' ग्रेड मिलेगा। एक सेमेस्टर में परियोजना के विस्तार को उसके परियोजना पर्यवेक्षक और विभागीय प्रमुख के माध्यम से छात्र द्वारा किए गए आवेदन पर डीन यूजीएस द्वारा पूर्व अनुमोदन के साथ किया जा सकता है। शरद सेमेस्टर (7 वें सेमेस्टर) में आवंटित परियोजनाओं में विस्तार के लिए ग्रेड प्रस्तुत करने की समय सीमा अगले वसंत सेमेस्टर के पंजीकरण से तीन दिन पहले होगी, जबिक वसंत सेमेस्टर (8 वें सेमेस्टर) में आवंटित परियोजनाओं में विस्तार के लिए ग्रेड प्रस्तुत करने की समय सीमा समवर्ती वर्ष की 30 जून होगी। परियोजना के विस्तार के मामले में, एक छात्र को उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई तुलना में एक ग्रेड कम से सम्मानित किया जाएगा।

यदि कोई छात्र 7 वें सेमेस्टर के लिए परियोजना को क्लीयर नहीं कर पाता है, तो वह उसे 8 वें सेमेस्टर परियोजना के साथ ही पंजीकरण कर सकता है। ऐसे मामले में, उसे परियोजना भाग I (7 वें सेमेस्टर घटक) के मूल्यांकन में वास्तव में प्राप्त की गई तुलना में एक ग्रेड कम मिलेगा।

4.2.6.3 विभाग प्रमुख पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए मौखिक परीक्षा बोर्ड का गठन करेंगे। बोर्ड मौखिक परीक्षा के विभिन्न पहलुओं के सापेक्ष वजन का निर्धारण करेगा और छात्रों को सम्मानित किए जाने वाले ग्रेड तय करेगा। मौखिक परीक्षा की तारीखों जो अभी चल रहे अंत सेमेस्टर परीक्षा के बाद दस दिनों के भीतर आयोजित किया जाना है की घोषणा अकादिमक कैलेंडर में की जाएगी।

4.2.7 परीक्षा

- 4.2.7.1 विषयों के सैद्धान्तिक घटक के संबंध में मिड-सेमेस्टर और एंड-सेमेस्टर परीक्षाएं अकादमिक कैलेंडर के अनुसार निर्दिष्ट तिथियों पर आयोजित की जाती हैं।
- 4.2.7.2 कुछ विषयों के लिए परीक्षा केंद्रीय तौर पर आयोजित की जाती है जबिक अन्य के लिए सम्बंधित विभागों में आयोजित की जाती है। छात्र को एक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एक प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी किया जाएगा, केवल अगर उसने:
 - सेमेस्टर के संस्थान और 'निवास का हॉल' के सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है।
 - अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित नहीं किया गया था।

- 4.2.7.3 एक छात्र को शिक्षक / अध्यक्ष, समन्वय समिति की रिपोर्ट पर मिड-सेमेस्टर या एंड-सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित किया जा सकता है. यदि उसका / उसकी:
 - व्याख्यान / ट्युटोरियल / प्रयोगशाला कक्षाओं की अवधि के दौरान में उपस्थिति संतोषजनक नहीं है, और / या,
 - सेमेस्टर के दौरान असाइनमेंट कार्यों में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है।

4.2.8. कक्षा परीक्षणों, मध्य-सेमेस्टर और अंत-सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थिति:

- 4.2.8.1 कक्षा परीक्षण, मध्य-सेमेस्टर परीक्षाएं, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, मौखिक-परीक्षा, प्रयोगशाला असाइनमेंट, आदि सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के घटक हैं, और एक छात्र को विषय के शिक्षक / समन्वय समिति द्वारा निर्धारित इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। यदि किसी अपरिहार्य कारण (जैसे स्वयं की बीमारी, परिवार में विपत्ति आदि) से कोई छात्र निर्धारित तिथि और समय के भीतर किन्हीं भी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो शिक्षक / समन्वय समिति संबंधित विभाग के प्रमुख के परामर्श से इस तरह के (क्षतिपूर्ति / परीक्षाओं के संचालन सिंहत) कदम उठा सकते हैं, जैसा उचित माना जाएं।
- 4.2.8.2 अंत-सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थिति: किसी विषय के सिद्धांत घटक में अंतिम-सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होना छात्र के लिए अनिवार्य है। यदि कोई छात्र अंतिम-सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो उसे विषय में एफ ग्रेड दिया जाएगा और उसे गर्मियों की तिमाही में पंजीकरण करने की अनुमित नहीं दी जाएगी या वह विषय के लिए पूरक परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता है।

हालाँकि, यदि कोई छात्र अपने स्वयं की गंभीर बीमारी या परिवार में आपदा जैसी अपरिहार्य वजह के कारण अंतिम-सेमेस्टर की परीक्षा में चूक जाता है, तो वह अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से डीन (छात्रों के मामले) को अपील कर सकता है, जिससे गर्मी की तिमाही में पंजीकरण करने के लिए खुद को अनुमति देने या पूरक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुरोध कर सकता है, जो भी लागू हो।

निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर स्नातक कार्यक्रम और मूल्यांकन समिति (यूजीपीईसी) की एक उपसमिति, दस्तावेजों की जांच करने और मामले की योग्यता के बारे में आश्वस्त होने के बाद, उन्हें गर्मियों में तिमाही में पंजीकरण करने की अनुमित देने और / या अनुपस्थिति के साथ पूर्ण क्रेडिट के साथ पूरक परीक्षा में उपस्थित होने की सिफारिश कर सकती है।

स्नातक कार्यक्रम और मूल्यांकन समिति (यूजीपीईसी)

- डीन (शैक्षणिक) अध्यक्ष
- डीन (छात्रों के मामलें) संयोजक
- डीन (स्नातक कार्यक्रम)/ एचओडी
- एक चिकित्सा अधिकारी
- अनुभाग प्रभारी/ उप पंजीयक/ पंजीयक सचिव

छात्रों को केवल उन्हीं विषयों में परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, जिनके लिए उन्होंने सेमेस्टर की शुरुआत में पंजीकरण कराया है और उन पर निलंबन नहीं है।

किसी विषय में छात्रों को दिए गए अंतिम ग्रेड को शिक्षक / अध्यक्ष, समन्वय समिति द्वारा परीक्षा आयोजित करने की तारीख से सात दिनों के भीतर संबंधित विभाग के प्रमुख को प्रस्तुत किया जाये ताकि वे इसे सहायक कुलसचिव (स्नातक अध्ययन) को आगे के प्रसारण के लिए भेज सकें।

"अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों (ईएए)" में प्रदर्शन का मूल्यांकन संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

छात्रों द्वारा सीखने की प्रक्रिया के रूप में और सभी कक्षा-परीक्षणों, मध्य-सेमेस्टर परीक्षाओं, असाइनमेंट आदि की स्क्रिप्ट जांचने के बाद, परीक्षण / परीक्षा की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर छात्रों को दिखाया जाएगा। अंतिम-सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएँ अगले सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर छात्रों को दिखाई जानी चाहिए।

छात्रों की सहायता करने के लिए, जो एक वर्ष में शरद और / या वसंत सेमेस्टर में एक या एक से अधिक विषयों में असफल रहे, उनकी कमी को पूरा करने और प्रदर्शन में सुधार के लिए तुरंत ग्रीष्मकालीन छुट्टीके दौरान एक ग्रीष्म तिमाही सत्र आयोजित किया जाएगा।

ग्रीष्म तिमाही को चलाने के नियमों को अलग से अधिसूचित किया जाना है। शरद और / या वसंत सेमेस्टर में एक या अधिक विषयों के सैद्धान्तिक घटक में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त न कर पाने के कारण अनुत्तीर्ण (एफ़ ग्रेड प्राप्त) होने वाले छात्रों को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए शैक्षणिक खंड द्वारा केंद्रीय रूप से व्यवस्थित अंत-सेमेस्टर परीक्षा के बराबर पूरक परीक्षा जुलाई के महीने में (अगले सत्र की शुरुआत से पहले) प्रति वर्ष आयोजित की जाएगी। पूरक परीक्षा से संबंधित नियम अलग से अधिसूचित / दिए गए हैं।

4.2.9 पूरक परीक्षाएं:

- 4.2.9.1 एक छात्र किसी विषय में पूरक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होगा यदि वह वास्तव में उस विषय में अंतिम-सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित हुआ हो और उसे ग्रेड एफ प्राप्त हुआ हो।
- 4.2.9.2 हालांकि, यदि कोई छात्र अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में अनुपस्थित रहा है (ए) चिकित्सा कारणों से, तो अधिकृत मेडिकल अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाता है या (बी) परिवार के विपत्ति के कारण। इन परिस्थितियों में उसके मामले पर पूर्ण क्रेडिट के साथ पूरक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए विचार किया जाएगा (ग्रेड देने के नियम में ढील दी जाएगी)। ऐसे मामलों में छात्र को विभाग के प्रमुख के माध्यम से डीन (स्नातक अध्ययन) को लिखित रूप में आवेदन करना होगा।
- 4.2.9.3 सभी मेडिकल मामलों को मेडिकल बोर्ड के सामने विचार के लिए रखा जाएगा। केवल मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणन पर छात्र को पूरा क्रेडिट दिया जाएगा।
- 4.2.9.4 एक छात्र को विषयों की संख्या के बावजूद एक वर्ष में पूरक परीक्षाओं में 20 से अधिक क्रेडिट में उपस्थित होने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- 4.2.9.5 जो छात्र पूरक परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें अपना आवेदन, जो विषय (यों) के शिक्षक (शिक्षकों) या संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा प्रतिरूपित किया गया हो, आवश्यक फीस के साथ शैक्षणिक सम्बंधित अनुभाग द्वारा अधिसूचित तिथि तक प्रस्तुत करना होगा।
- 4.2.9.6 पूरक परीक्षाएं ऐसी तिथियों पर आयोजित की जाएंगी, जो वर्ष के लिए अकादिमक कैलेंडर में रखी गई हों या अलग से अधिसचित की गई हों।
- 4.2.9.7 पूरक परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र का विषय में ग्रेड पूरक परीक्षा में बनाए गए कुल अंकों को अंत-सेमेस्टर के अंकों में प्रतिस्थापित करके फिर से जोड़ा जाएगा। जब तक खंड 4..9.2.2 के आधार पर पूर्ण क्रेडिट की अनुमित नहीं दी जाती है, तब तक कोई छात्र केवल प्राप्त वास्तविक ग्रेड की तुलना में एक ग्रेड कम का हकदार होता है, सिवाय इसके कि प्रदर्शन ग्रेड पी अचल रहता है, जैसा की निचे सारिणी में दर्शाया गया है:

सारिणी:4.2.9.7

प्राप्त ग्रेड	ग्रेड दिया जाना है
एक्स (Ex)	ए (A)
ए (A)	बी (B)
बी (B)	सी (C)
सी (C)	डी (D)
डी (D)	पी (P)
पी (P)	पी (P)
एफ़ (F)	एफ़ (F)

4.2.9.8 छात्रों को दिए गए अंतिम ग्रेड को शैक्षणिक कैलेंडर में निर्दिष्ट तिथि पर शैक्षणिक अनुभाग में भेजा जाना चाहिए।

4.2.9.9 एक संयुक्त विभागवार सूची ईआरपी से शैक्षणिक अनुभाग द्वारा तैयार की जाएगी और विभाग को सूचित की जाएगी। विभाग विभागीय स्तर पर पुनः परीक्षा और / या पूरक परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा केंद्रीय समय सारणी तैयार की जाएगी।

इसके अलावा, प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए पूरक / ग्रीष्मकालीन तिमाही परीक्षा केंद्रीय रूप से आयोजित की जाएगी।

4.2.9.10 पूरक परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों की किमयों में सुधार के लिए तीन सप्ताह (गर्मियों की छुट्टी के दौरान) के लिए उचित पंजीकरण के साथ संबंधित संकाय की सहमति से से विशेष कक्षाओं (केवल विषयों के सिद्धांत घटक के लिए) का आयोजन किया जाएगा।

4.2.10 परिणामों की घोषणा

4.2.10.1 ग्रेड प्रस्तुति:

शैक्षणिक कैलेंडर में निर्दिष्ट सेमेस्टर परीक्षा की अंतिम तिथि से 10 (दस) दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर ग्रेड जमा किया जाना है। उस तारीख से परे, ग्रेड जमा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी और तदनुसार शैक्षणिक अनुभाग ग्रेड देर से जमा करने की अनुमति देगा।

4.2.10.2 ग्रेड प्रस्तुति ऑनलाइन किया जाएगा। प्रस्तुत ग्रेड का एक प्रिंट आउट लेना होगा और संबंधित शिक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। ग्रेड की हस्ताक्षरित प्रति को नियत तारीख में शैक्षणिक अनुभाग में जमा किया जाना चाहिए। ऑनलाइन ग्रेड प्रस्तुति के अलावा, जिन छात्रों ने एफ ग्रेड प्राप्त किया है, उनके लिए मध्य सेमेस्टर, अंतिम सेमेस्टर और टीए अंक का विवरण ऑनलाइन दर्ज करना होगा।

संस्थान संबंधित छात्र (ओं) को असफलता सूची ऑनलाइन सूचित करेगा, एक बार असफलता की हार्ड कॉपी पर हस्ताक्षर करने के बाद इन सभी विवरणों को संबंधित शिक्षक द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से और संस्थान के यूजीपीईसी (स्नातक कार्यक्रम मूल्यांकन समिति) के अनुमोदन से शैक्षणिक अनुभाग को प्राप्त हो गया है।

4.2.10.3 शैक्षणिक कैलेंडर में निर्दिष्ट सेमेस्टर परीक्षा की अंतिम तिथि से 9 (नौ) दिनों की अधिकतम अविध के भीतर प्रदर्शन के रिकॉर्ड / प्रदर्शन मूल्यांकन किया गया, विषय के अंतिम-सेमेस्टर के परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएँ दिखाई जानी चाहिए। मध्य-सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाएँ, हालांकि, मध्य-सेमेस्टर परीक्षा की अंतिम तिथि से 20 (बीस) दिनों के भीतर दर्शाई जानी चाहिए। अनुपूरक परीक्षा के लिए, प्रदर्शन के रिकॉर्ड का प्रदर्शन / किसी विषय की मूल्यांकित उत्तर लिपियों को दिखाना पूरक परीक्षा के पूरा होने के बाद 3 (तीन) दिनों की अधिकतम अविध के भीतर करना होता है।

4.2.11 ग्रेड संशोधन:

एक अक्षरीय ग्रेड (ए, बी, सी, डी...) एक बार प्रदान करने क पश्चात तब तक नहीं बदला जाएगा, जब तक कि संबंधित शिक्षकों / समन्वयकों द्वारा सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड और औचित्य के साथ चूक और / या कमीशन की वास्तविक त्रुटि का पता लगने पर विभागीय यूजी समिति और विभाग प्रमुख द्वारा अनुशंसित और अध्यक्ष-सीनेट / डीन (यूजीएस) द्वारा अनुमोदित अनुरोध नियत तारीख के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता, जैसा कि उप खंड 4.2.10.1 में प्रदान किया गया है।

4.2.11.1

द्वितीय सेमेस्टर के विषयों के लिए, जमा किए गए ग्रेड में किसी भी बदलाव की अनुमित नहीं होगी। यूजीपीईसी की बैठक में पुन: परीक्षा और पूरक परीक्षा परिणामों पर विचार करने के बाद, 1 और 2 सेमेस्टर दोनों के पूरक परीक्षा के विषयों के लिए, ग्रेड का परिवर्तन अधिकतम 3 (तीन) दिनों के भीतर किया जाना है।

4.2.11.2

आठवें सेमेस्टर (4 साल के बीटेक छात्रों के लिए) के विषयों के लिए, सीनेट की बैठक में परिणामों पर विचार करने के बाद 3 (तीन) दिनों की अधिकतम अविध के भीतर ग्रेड में बदलाव किया जाना है। पुन: परीक्षा और पूरक परीक्षा के ग्रेड में किसी भी परिवर्तन की अनुमित नहीं होगी। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, UGPEC बैठक के बाद पुन: परीक्षा और पूरक परिणामों पर विचार करने के बाद केवल अध्यक्ष, सीनेट के अनुमोदन पर अधिकतम 1 (एक) दिन के भीतर ग्रेड परिवर्तन की अनुमित दी जाएगी।

4.2.11.3

आम तौर पर एक छात्र को बीटेक डिग्री के लिए आठ सेमेस्टर में लगातार सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। हालांकि, अकादमिक रूप से अभावग्रस्त छात्र निर्दिष्ट अधिकतम समय सीमा के भीतर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

4.2.11.4

एक छात्र, जिसके किसी भी सेमेस्टर के अंत में अकादिमक रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह / वह उस डिग्री के लिए अर्हता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा जिसके लिए उसे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रवेश दिया गया था, उसे पढ़ाई बंद करनी होगी और संस्थान छोड़ना होगा, जब ऐसा करने के लिए जाए।

4.2.12 ग्रेड की रोक:

एक छात्र की ग्रेड शीट को विभिन्न कारणों से रोका जा सकता है, कुछ ऐसे कारण हैं: एक छात्र के खिलाफ अनुशासनहीनता का मामला लंबित है या छात्र उसके खिलाफ लंबित बकाया राशि को हटाने में विफल रहता है। ग्रेड शीट रोकने के कारण लिखित रूप में बताए जाएंगे।

4.2.13 आगामी वर्ष में प्रोन्नति और अध्ययन बंद करना

- **4.2.13.1** छात्र को प्रथम वर्ष में पंजीकृत क्रेडिट्स के 2/3 को (पूरक परीक्षाओं के बाद) पूर्ण करना है ताकि वह द्वितीय वर्ष के लिए पंजीकरण करने में सक्षम हो, ऐसा न करने पर एक छात्र ग्रेड **एफ** के साथ विषयों के लिए पंजीकरण करके पहला वर्ष दोहराना है। छात्र सीजीपीए में सुधार के लिए ग्रेड **पी** के कुछ विषयों के भी पंजीकरण कर सकते हैं।
- 4.2.13.2 यदि प्रथम वर्ष को दोहराने के बाद, छात्र आवश्यक क्रेडिट को पास करने में विफल रहता है (पूरक परीक्षाओं के बाद), तो छात्र को संस्थान छोड़ने के लिए कहा जाएगा।
- **4.2.13.3** द्वितीय वर्ष के अंत में, एक छात्र को सभी प्रथम वर्ष के विषयों को उत्तीर्ण करना होगा और इसके अलावा द्वितीय वर्ष के पंजीकृत विषयों के क्रेडिट्स के दो तिहाई को भी उत्तीर्ण करना होगा, ऐसा न होने की स्थिति में छात्र ग्रेड **एफ़** के विषयों के लिए पंजीकरण करके द्वितीय वर्ष दोहरायेगा। छात्र सीजीपीए में सुधार के लिए ग्रेड **पी** के कुछ विषयों के भी पंजीकरण कर सकते हैं।
- 4.2.13.4 धारा 4.2.13.3 के तहत यही नियम द्वितीय वर्ष के आगे पदोन्नति के लिए लागू होता है।
- 4.2.13.5 ईएए को दोहराई जाने वाली नीति से अलग किया जाएगा। छात्रों को, हालांकि, स्नातक होने से पहले ईएए घटकों को पूरा करना होगा। हालांकि, ईएए को किसी अन्य विषय के बराबर समझा जाएगा, जहां स्कॉलरशिप/ पुरस्कार / अवार्ड / दोहरी डिग्री सहायता / माइनर का पंजीकरण (और निरंतरता) / माइक्रो विशेषज्ञता / अतिरिक्त विषयों के पंजीकरण का संबंध है।
- 4.2.13.6 वर्तमान प्रोन्नति नीति के अनुसार, बाधित (बैकलॉग) विषय / विषयों को क्लियर करके शरद सेमेस्टर के अंत में पदोन्नति के लिए पात्र होने पर भी छात्र को एक पूरा शैक्षणिक वर्ष दोहराना होगा। इस प्रकार, यदि छात्र ने शरद सेमेस्टर में बाधित (बैकलॉग) विषय / विषयों को क्लियर कर लिया है, तो उसे पदोन्नति के रूप में माना जाना चाहिए और अगले वर्ष के स्प्रिंग सेमेस्टर में सभी पात्र

शैक्षणिक घटकों के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, अगर स्प्रिंग सेमेस्टर के अन्य बैकलॉग विषय हैं तो छात्र को पहले इन के लिए पंजीकरण करना होगा।

4.2.14 स्नातक के लिए आवश्यकताएँ:

एक बी.टेक डिग्री के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एक छात्र को चाहिए की:

- 4.2.14.1 अध्ययन के विषय के नियत पाठ्यक्रम में यथा निर्धारित डिग्री के लिए सभी क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करें।
- 4.2.14.2 सेमेस्टर के अंत में 6.00 या उच्चतर सीजीपीए प्राप्त करें जिसमें वह डिग्री के लिए सभी यथा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा कर रहा /रही है ।
- 4.2.14.3 संस्थान, आवास स्थान, पुस्तकालय और विभागों के सभी बकाया राशि का भुगतान पूरी तरह कर दिया है।
- 4.2.14.4 आम तौर पर एक छात्र को बी.टेक डिग्री के लिए आठ सेमेस्टर में लगातार सभी अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। हालांकि, शैक्षणिक रूप से कमी वाले छात्र अपनी आवश्यकताओं को 8 वर्षों की अधिकतम समय सीमा में पूरा कर सकते हैं।

4.2.15 संस्थान से वापसी:

- **4.2.15.1** एक छात्र जिसे संस्थान के स्नातक डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, लंबी बीमारी या परिवार में किसी गंभीर समस्या, जिसके कारण घर पर रहने के लिए उसे मजबूर हो, के आधार पर संस्थान से एक सेमेस्टर या उससे अधिक की अविध के लिए अस्थायी रूप से **वापसी** की अनुमित दी जा सकती है। बशर्ते:
 - क) वह सेमेस्टर के शुरू होने के 15 दिनों के भीतर या उस तिथि से जब वह अंतिम रूप से अपनी कक्षाओं में भाग लेता है, जो भी बाद की तिथि हो, पूरी तरह से इस वापसी के कारणों को एक साथ बताते हुए पिता / अभिभावक द्वारा सत्यापित दस्तावेजों और समर्थन के साथ संस्थान में आवेदन करता है।
 - ख) संस्थान यदि इस बात से संतुष्ट है कि, छात्र द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा में डिग्री के लिए वापसी की अवधि को शामिल करते हुए, अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने की संभावना है और संस्थान / हॉल/ विभाग / पुस्तकालय / जिमखाना / एनसीसी द्वारा उसके पास कोई बकाया या मांग नहीं है, अनुमति दे सकता है।
- 4.2.15.2 छात्र जिसे प्रावधानों के तहत संस्थान से अस्थायी रूप से **वापसी** की अनुमित दी गई है, को ट्यूशन शुल्क और अन्य आवश्यक शुल्क / शुल्क का भुगतान तब तक करना होगा जब तक कि उसका नाम रोल सूची पर रहता है।
- **4.2.15.3** छात्र को संस्थान के छात्र के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान केवल एक ही अस्थायी **वापसी** दी जाएगी।
- 4.2.15.4 छात्र जिसे चिकित्सा आधार पर एक अस्थायी **वापसी** की अनुमित दी गई है, उसे प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित किए जाने के बाद ही उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करने की अनुमित दी जाएगी।

4.2.16. संस्थान की रोल सूची से नाम का हटाव

यदि कोई छात्र सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना लगातार 3 (तीन) सेमेस्टर के लिए पंजीकरण नहीं करता है, तो उसका नाम संस्थान रोल सूची से हटा दिया जाएगा।

4.2.17 छूट

सीनेट, असाधारण परिस्थितियों में, किसी भी छात्र को इन विनियमों में बताई गई आवश्यकताओं के संबंध में मामूली कमी के मामले में विचार कर सकता है और मामले की योग्यता के आधार पर इन विनियमों के प्रासंगिक प्रावधान में छूट दे सकता है। जिन आधारों पर इस तरह की छूट दी गई है, उन्हें हमेशा दर्ज किया जाएगा और पूर्वता के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।

4.2.18 छात्रों की आचार संहिता (सीसीएस)

प्रत्येक छात्र से निम्नलिखित छात्रों की आचार संहिता (सीसीएस) के अनुसार व्यवहार करने की आशा की जाती है:

- क) हर समय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के साथ अपने संबंध रखने के तरीके से स्वयं आचरण करें;
- ख) संस्थान के शिक्षकों, प्रशासकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को उचित सम्मान दें और शिष्टाचार दिखाएँ।
- ग) संस्थान के आगंतुकों और परिसर के निवासियों के प्रति उचित ध्यान रखें और शिष्टाचार दिखाएं ;
- घ) साथी छात्रों के साथ अच्छे पड़ोसी का व्यवहार दिखाएं
- ङ) अपनी राय व्यक्त करने में तार्किक और स्पष्टवादी बनें;
- च) दूसरों की राय के प्रति उचित सम्मान दिखाये भले ही यह आपकी अपनी राय से अलग हो;
- छ) संस्थान के नियमों और विनियमों को भंग करने का कोई प्रयास न करें;
- ज) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग न करें। यदि कोई छात्र पहली बार अनुचित साधनों (यूएफएम) का अभ्यास करता है, तो उसे उस विशेष सेमेस्टर के सभी पाठ्यक्रमों को दोहराना होगा और यदि कोई छात्र दूसरी बार अनुचित साधनों का अभ्यास करता है, तो उसे आईआईपीई से बर्खास्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई दया अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
- झ) संस्थान की संपत्ति, या साथी छात्रों के सामानों को क्षति न पहुंचायें;
- ञ) पढ़ाई करते समय अन्य साथी छात्रों को परेशान न करें;
- ट) शोर और अनुचित व्यवहार का प्रदर्शन न करें;
- ठ) किसी भी स्थिति में, किसी भी रूप में रैगिंग में शामिल न हों;
- ड) किसी भी गतिविधि, जो संभवतः संस्थान की छवि को धूमिल कर सकती है, में शामिल न हों;
- ढ) किसी अन्य समान अवांछनीय गतिविधि से बचना चाहिए।
 - सीसीएस का कोई भी उल्लंघन अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा, जिसमें संस्थान से निष्कासन भी शामिल है।
 - प्रशिक्षक / ट्यूटर को कक्षा में गलत व्यवहार करने वाले छात्र के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है।
 संबंधित प्रशिक्षक द्वारा घटना का विवरण तुरंत अकादिमक समन्वयक (एसी) को सूचित किया जाएगा।
 - चीफ वार्डन को अधिकार है कि वह उस निवासी के खिलाफ फटकार लगा सकता है, जुर्माना लगा सकता है या कोई अन्य उपयुक्त उपाय कर सकता है, जो या तो सीसीएस या आवासीय परिसर से संबंधित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता है।

किसी भी रूप में रैगिंग में एक छात्र का शामिल होना, संस्थान से उसका निष्कासन करा सकता है। इस संबंध में माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का विधिवत पालन किया जाएगा।

एसी की अनुशासन समिति (डीसी) उन छात्रों के मामले की जांच करेगी जो सीसीएस का उल्लंघन करते हैं या उल्लंघन करने का प्रयास करते हैं। यह स्थापित करने के बाद कि सीसीएस का उल्लंघन किया गया है, डीसी अध्यक्ष-एसी को सीसीएस के उल्लंघन की डिग्री के अनुरूप सजा की सिफारिश करेगा। दंड के प्रकारों का एक नमूना निम्नलिखित है:

- छात्र को फटकारना;
- छात्र को अनुशासनात्मक परिवीक्षा पर लाना;
- छात्र पर जुर्माना (मौद्रिक या अन्यथा) लगाना;
- छात्र को कुछ पाठ्यक्रम/मो की परीक्षा में उपस्थित होने से रोकना;
- सेमेस्टर में छात्र का पंजीकरण रद्द करना जिसमें सीसीएस का उल्लंघन किया गया है;
- संस्थान की प्लेसमेंट सेवाओं का उपयोग करने से छात्र को वंचित करना;
- एक निर्दिष्ट अवधि के लिए संस्थान में भाग लेने से छात्र को निलंबित करना;
- अनुशासनात्मक आधार पर छात्र के शैक्षणिक कार्यक्रम को समाप्त करना।

अनुशासनात्मक आधार पर किसी भी छात्र के शैक्षणिक कार्यक्रम को समाप्त करने की कार्यवाही को एसी की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

एसी किसी ऐसे छात्र को डिग्री के पुरस्कार के लिए संस्थान के शासक मंडल के समक्ष सिफारिश नहीं कर सकता है जो किसी बड़े अपराध के लिए दोषी पाया गया है, भले ही छात्र ने सभी शैक्षणिक आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

4.3 पंजीकरण प्रक्रिया

4.3.1 पूर्व पंजीकरण आवश्यकताएँ

दूसरे सेमेस्टर से, केवल उन छात्रों को पंजीकृत करने की अनुमति होगी जिन्होंने/जिनको -

- क) पिछले सेमेस्टर के सभी संस्थान और हॉस्टल का बकाया क्लियर कर लिया है।
- ख) वर्तमान सेमेस्टर के लिए सभी आवश्यक शुल्क का भुगतान कर लिया है, और
- ग) अनुशासनात्मक और अन्य आधार पर निर्दिष्ट अवधि के लिए पंजीकरण करने से वंचित नहीं किया गया है।
- घ) छात्र(ओं) को एक वर्ष दोहराते हुए, संबंधित सेमेस्टर के लिए पूरी राशि पंजीकरण शुल्क के रूप में पंजीकरण के समय चुकानी होगी।

4.3.2 पंजीकरण की तारीख और स्थान

योग्य छात्रों को आवश्यक शुल्क का भुगतान करने और प्रत्येक सेमेस्टर के लिए ऐच्छिक / अतिरिक्त / अपंजीकृत / बैकलॉग आदि विषयों के उपयुक्त विकल्प द्वारा अपने विषय पंजीकरण को अंतिम रूप देने के लिए एक विस्तृत समय सीमा दी जाएगा। पंजीकरण की तिथि, समय और स्थान अग्रिम घोषित किया जाएगा। चूंकि पंजीकरण क्रेडिट सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक हिस्सा है, यह पूरी तरह से आवश्यक है कि सभी छात्र खुद को निर्दिष्ट समय सीमा पर प्रस्तुत करें। देर से पंजीकरण की अनुमित नहीं है। हालांकि, देर से पंजीकरण की अनुमित केवल तभी है जब किसी छात्र ने पूर्व अनुमित ले ली है या चिकित्सा कारण/ परिवार में आपदा है या कोई असाधारण / आपातकालीन परिस्थितियों है। यदि कोई छात्र जानबूझकर समय सीमा के भीतर पंजीकरण पूरा नहीं करता है, तो उसे अपनी पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्धारित जुर्माना देना होगा।

4.3.3 बकाया राशि का भुगतान

प्रवेश के समय, छात्र को फीस का भुगतान करना होगा और पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत होने से पहले अन्य निर्दिष्ट भुगतान करना होगा। इससे पहले कि वह बाद के सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत हो, छात्र को दो 'शून्य-देयता प्रमाणपत्र' प्राप्त करना होगा, एक 'हॉस्टल वार्डन' से और दूसरा 'संस्थान के लेखा अधिकारी' से। इनको पंजीकरण के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वार्डन 'शून्य-देयता प्रमाणपत्र' तब देता है जब छात्र का पिछले सेमेस्टर में कोई मेस की राशि बकाया न हो और उसने वर्तमान सेमेस्टर के लिए मेस अग्रिम का भुगतान किया हो।

दूसरी मंजूरी 'संस्थान के बकाए' के लिए है जिसका भुगतान पंजीकरण हॉल में 'लेखा डेस्क' पर नकद या बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन स्थानांतरण (जो भी भुगतान के समय स्वीकार्य है) द्वारा किया जाना चाहिए। 'संस्थान के बकाए' में वर्तमान सेमेस्टर की ट्यूशन फीस, अन्य देय राशि के साथ-साथ पिछले सेमेस्टर का बकाया, यदि कोई हो, शामिल होंगे। ड्राफ्ट को आईआईपीई, विशाखापट्टणम के नाम से तैयार किया जाना चाहिए।

4.3.4 पाठ्यक्रमों पर सलाह

सभी छात्रों को अपने संकाय सलाहकारों / शैक्षणिक समन्वयकों से परामर्श करना होगा और उनके द्वारा पंजीकरण पर्ची हस्ताक्षरित करानी होगी। एक संकाय सलाहकार को आम तौर पर एक विशेष अध्धयन के विषय में छात्रों के एक बैच के लिए नियुक्त किया जाता है, जो प्रत्येक छात्र के अध्ययन का पूरा कार्यक्रम और एक छात्र द्वारा लिए जाने वाले पाठ्यक्रमों पर सलाह देगा।

4.3.5 यूजी छात्रों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश (प्रथम वर्ष-प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर)।

- 4.3.5.1 एक छात्र जिसने पिछले सेमेस्टर तक सभी पाठ्यक्रम की आवश्यकता को पूरा कर लिया है, पाठ्यक्रम के अनुसार वर्तमान सेमेस्टर के सभी विषयों के लिए पंजीकरण करेगा।
- **4.3.5.2** छात्रों ने (**S-2**) वे सेमेस्टर के सभी विषयों (जिसमें पूरक परीक्षा शामिल है) को 6 से कम सीजीपीए (सीजीपीए < 6.00) के साथ के क्लियर किया है, **S** वे सेमेस्टर के सभी विषयों के साथ-साथ **पी-ग्रेड** के विषयों को (सुधार के लिए) ले सकते हैं, 28 की अधिकतम क्रेडिट सीमा तक।
- 4.3.5.3 संबंधित सेमेस्टर [अर्थात (S-2) वें सेमेस्टर] के सभी बैकलॉग- विषयों को S वे सेमेस्टर में पहले पंजीकृत किया जाना है।
- **4.3.5.4** वो छात्र जिनके (**S**-2) वें सेमेस्टर में केवल एक बैकलॉग-विषय है तथा सीजीपीए 6.00 से अधिक (सीजीपीए > 6.00) है, उस बैकलॉग-विषय के साथ **S** वे सेमेस्टर के निर्धारित क्रेडिट के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
- 4.3.5.5 (S-2) वें सेमेस्टर में एक से अधिक बैकलॉग-विषय रखने वाले छात्रों के लिए, बैकलॉग-विषयों के साथ S वे सेमेस्टर में पंजीकृत क्रेडिट 28 से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 4.3.5.6 एक (अकादिमक) वर्ष को दोहराने वाले छात्रों के लिए, एक सेमेस्टर में पंजीकृत क्रेडिट 16 से अधिक नहीं होना चाहिए। वह बैकलॉग-विषयों के साथ-साथ पी-ग्रेडे वाले विषयों (सुधार के लिए) के लिए कुल पंजीकृत क्रेडिट 16 से अधिक नहीं के साथ पंजीकरण कर सकते हैं।
- 4.3.5.7 दोहराते हुए/ बैकलॉग छात्रों के लिए प्रति सेमेस्टर 28 या 16 क्रेडिट सीमा की गणना करते समय औद्योगिक प्रशिक्षण, फील्ड ट्रिप, व्यापक मौखिक-परीक्षा और ईएए के क्रेडिट को बाहर रखा जाना चाहिए।
- 4.3.5.8 किसी विषय के लिए पंजीकरण करने के लिए, पूर्वापेक्षा का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों को व्यावसायिक व्यापक वैकल्पिक के बजाय विभागीय वैकल्पिक विषय लेने की अनुमति दी जा सकती है। एक ही स्लॉट के विषयों में पंजीकरण की अनुमति नहीं होगी।
- 4.3.5.9 एक छात्र जो परीक्षा में बैठने से वंचित रह गया है
 - (i) असंतोषजनक उपस्थिति के लिए विषय शिक्षक की सिफारिश के अनुसार या
 - (ii) संस्थान द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के उपाय के रूप में या
 - (iii) एक परीक्षा में कदाचार को अपनाने के लिए और इसके बाद एक एक्स-ग्रेड से सम्मानित किया गया, वंचित अवधि समाप्त होने के बाद विषय(यों) के लिए फिर से पंजीकरण कर सकता है, बशर्ते कि इस विनियमन के अन्य प्रावधान उसे पंजीकरण से रोकते नहीं हैं।।
- 4.3.5.10 विषयों के **सुधार** के लिए योग्य छात्रों को संकाय सलाहकार के माध्यम से एचओडी को शैक्षणिक अनुभाग (और / या परीक्षा सेल) को अपना आवेदन अग्रेषित करना होगा। उन विषयों के पंजीकरण की मंजूरी एचओडी और संकाय सलाहकार की सिफारिश के बाद पूरी हो जाएगी।

4.3.6 विपंजीकरण

- 4.3.6.1 खराब उपस्थिति के आधार पर संबंधित शिक्षक द्वारा सेमेस्टर के एक विषय में छात्र को विपंजीकृत किया जा सकता है। यदि किसी छात्र के पास किसी विषय में न्यूनतम 80% उपस्थिति नहीं है, तो उसे विषय शिक्षक के विवेक पर विषय से विपंजीकृत किया जा सकता है। किसी विषय का केवल एक बार विपंजीकृत की अनुमित है और मेडिकल आधार को छोड़कर, विपंजीकृत किए गए विषय का कोई निरस्तीकरण स्वीकार्य नहीं है।
- 4.3.6.2 विपंजीकरण से पहले विषय शिक्षक द्वारा छात्रों को (प्रतिलिपि काउंसलर, संकाय सलाहकार, विभागाध्यक्ष) ईमेल चेतावनी दी जानी चाहिए।

- 4.3.6.3 विपंजीकरण प्रक्रिया मध्य सेमेस्टर परीक्षा के बाद शुरू होगी।
- 4.3.6.4 विपंजीकरण प्रक्रिया अंत-सेमेस्टर परीक्षा शुरू होने से एक सप्ताह पहले पूरी हो जानी चाहिए और शैक्षणिक अनुभाग (और / या परीक्षा सेल) को (एक पत्र के माध्यम से) सूचित की जानी चाहिए।

4.3.7 शाखा का परिवर्तन

शाखा का परिवर्तन **एक विशेष सुविधा है लेकिन अधिकार नहीं** है। केवल जेईई (एडवांस) के माध्यम से बी.टेक कार्यक्रम में भर्ती हुए छात्र निम्नलिखित नियमों के अनुसार द्वितीय सेमेस्टर के बाद शाखा के परिवर्तन के लिए विचार करने के लिए पात्र हैं। हालांकि, यदि कोई भी शाखा विशिष्ट अनिवार्य कोर ठ्यक्रम(ओं) को पहले दो सेमेस्टर (प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर) के भीतर जारी कर रहे हैं, तो शाखा परिवर्तन के विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा। शाखा के परिवर्तन के लिए विचार के योग्य होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा।

- 4.3.7.1 उसने अपने पहले प्रयास में पाठ्यक्रम के पहले दो सेमेस्टर में निर्धारित सभी क्रेडिट्स को पूरा कर लिया होगा, बिना किसी भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता को पुनः-परीक्षा, पूरक परीक्षा और / या गर्मियों की तिमाही में उत्तीर्ण किए।
- 4.3.7.2 उसने द्वितीय (वसंत) सेमेस्टर के अंत में एक संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) 8.5 से कम नहीं प्राप्त किया हो।
- 4.3.7.3 शाखा के परिवर्तन के लिए अधिसूचना से पहले किसी भी समय स्थायी संस्थान अनुशासन समिति या परीक्षा निरोधक समिति द्वारा किसी अपराध के लिए उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
- 4.3.7.4 शाखा में परिवर्तन सख्ती से आवेदकों के अंतर-से-मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, द्वितीय (वसंत) सेमेस्टर के अंत में प्राप्त सीजीपीए पर विचार किया जाएगा।
- 4.3.7.5 शाखा के परिवर्तन करने में, उन आवेदकों को पहले माना जाएगा जिन्होंने सभी प्रथम वर्ष के छात्रों के बीच दूसरे (वसंत) सेमेस्टर के अंत में सीजीपीए के संदर्भ में शीर्ष 1% (एक प्रतिशत), निकटतम पूर्णांक तक गोल, के भीतर रैंक हासिल की है।
- 4.3.7.6 शेष आवेदकों को शाखा में बदलाव की अनुमित दी जा सकती है, कड़ाई से अंतर-से-मेरिट के क्रम में, सीमा के अधीन कि तीसरे (शरद) सेमेस्टर में छात्रों की वास्तिवक संख्या, जिस शाखा में स्थानांतरण होना है, उस शाखा के लिए स्वीकृत वार्षिक प्रवेश संख्या के 110% से अधिक नहीं है। किसी विशेष शाखा में स्वीकृत वार्षिक प्रवेश संख्या वह संख्या होगी, जिसे आवेदकों के प्रवेश के विशेष वर्ष के लिए उस शाखा में प्रवेश के लिए सीनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। पहले वर्ष में छात्रों की कुल संख्या की गणना करने के लिए, सभी शाखाओं की स्वीकृत वार्षिक प्रवेश संख्या का योग लिया जाएगा। किसी विशेष शाखा में छात्रों की वास्तिवक संख्या की गणना के उद्देश्य से, शाखा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या पर विचार किया जाना है।
- 4.3.7.7 शाखा के सभी परिवर्तन अंतिम और आवेदकों पर बाध्यकारी होंगे। किसी भी छात्र को किसी भी परिस्थिति में, प्रस्तावित परिवर्तित शाखा से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 4.3.7.8 शैक्षणिक खंड छात्रों को सूचित करेगा और तीसरे (शरद) सेमेस्टर के पंजीकरण की निर्धारित तिथि(ओं) से कम से कम 7 (सात) दिन पहले शाखा के परिवर्तन के बारे में नोटिस बोर्डों पर प्रदर्शित करेगा। हालांकि, उपरोक्त नियमों के अनुसार किए गए शाखा के सभी परिवर्तन संबंधित आवेदकों के तीसरे (शरद) सेमेस्टर से प्रभावी होंगे। इसके बाद शाखा के परिवर्तन अनुमति नहीं होगी।
- 4.3.7.9 शैक्षणिक वर्ष के वसंत सेमेस्टर के दौरान, जब अधिसूचना की जाती है, तो योग्य छात्रों को सुविधा प्रदान करके शाखा में बदलाव के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। इसी अनुसार छात्रों को (i) ऑनलाइन / ऑफलाइन (जैसा सूचित किया गया हो) आवेदन करना है और (ii) सत्यापन और विचार के लिए अधिसूचित विशिष्ट तिथि तक शैक्षणिक खंड (और / या परीक्षा सेल) को हस्ताक्षरित प्रति जमा करना हैं।

4.3.8 शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्र

ऐसे छात्रों को उनके सीजीपीए के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा (कुल क्रेडिट के आधार पर गणना की गई)

- क) श्रेणी ए: सीजीपीए 6.00 दे काम वाले छात्र (सीजीपीए < 6.00)।
- ख) श्रेणी बी: दो से अधिक बैकलॉग / अपंजीकृत विषय वाले छात्र(सीजीपीए की परवाह किए बिना)।
- 4.3.8.1 काउंसलर के साथ संकाय सलाहकार हर महीने एक बैठक की तारीख की घोषणा करेंगे और छात्रों के लिए इन बैठकों में भाग लेना अनिवार्य होगा। बैठक के दौरान छात्र की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। इन बैठकों की एक रिपोर्ट काउंसलर द्वारा तैयार की जानी चाहिए और भविष्य में सत्यापन के लिए दर्ज की जानी चाहिए।

अध्याय 5 छात्रवृत्ति और सहायता {आईआईपीई अधिनियम, 2017 की धारा - 34 (ई)}

फैलोशिप, सहायता, पदक और पुरस्कार की स्थापना

- 5.1 मंडल समय-समय पर फैलोशिप, स्कॉलरशिप, असिस्टेंटशिप, मेडल और पुरस्कार अपने छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान और पोस्ट-डॉक्टरेट और अन्य स्तरों पर प्रदान करने के लिए दे सकता है।
- 5.2 संस्थान समय-समय पर उनमें से प्रत्येक के लिए पुरस्कार का महत्व, संख्या और शर्तें तय करेगा।
- 5.3 उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए संस्थान की निधियों के अतिरिक्त, दान से प्राप्त धन का भी उपयोग किया जा सकता है।
- **5.4** निदेशक, मेधावी छात्रों को मेरिट-कम-मीन्स सहायता प्रदान करने के लिए पात्रता और दिशानिर्देशों को सीनेट के साथ परामर्श करके तय करेंगे।
- 5.5 संस्थान छात्रों को बाहरी सरकारी / गैर-सरकारी संगठनों (जैसे केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजनाएं, राज्य सरकार की छात्रवृत्ति, निजी ट्रस्टों से छात्रवृत्ति आदि) द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति का लाभ उठाने की अनुमित देगा, बशर्ते वे संस्थान के किसी भी अध्यादेश या नियमों के विरोध में न आएं।
- 5.6 संस्थान व्यक्तियों और संगठनों से निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार छात्रवृत्ति स्थापित करने के लिए दान स्वीकार करेगा यदि यह महसूस किया जाता है कि वे संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे और संस्थान की सामान्य वृद्धि को बढ़ावा देंगे। ऐसी छात्रवृत्तियों के संस्थान के लिए मानदंडों और शर्तों को शासक मंडल की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

अध्याय 6

परीक्षा निकायों की नियुक्ति की शर्तें और तरीका और कर्तव्य, परीक्षक, मध्यस्थ और परीक्षा का संचालन

{आईआईपीई अधिनियम, 2017 के 34 (एफ) और (जी)}

6.1 संस्थान वर्तमान में सभी पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन और ग्रेडिंग प्रयोजनों के लियें, क्विज, होम असाइनमेंट और टर्म पेपर आदि साथ-साथ, दो मिड-सेमेस्टर और एक एंड-सेमेस्टर परीक्षा पैटर्न का अनुसरण करता है। परीक्षा और परीक्षणों में से प्रत्येक का भार प्रशिक्षक के विवेक अनुसार हर एक पाठ्यक्रम में भिन्न होता है। आमतौर पर सेमेस्टर की शुरुआत से व्याख्यान सत्रों को विस्तार से करने के चार से पांच सप्ताह के बाद मध्य सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। संस्थान या शैक्षणिक कार्यालय आम तौर पर विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षक द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र को मॉडरेट नहीं करता है। हालांकि इस तरह की संभावनाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के प्रशिक्षक पूरे सेमेस्टर में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं और परीक्षणों के परीक्षक हैं। कभी-कभी वह परीक्षा पत्रों के संचालन और मूल्यांकन के लिए शिक्षण सहायता की मदद ले सकता है। आमतौर पर अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए एक निश्चित ग्रेडिंग पैटर्न का पालन किया जाता है, हालांकि ग्रेडिंग पैटर्न पूरी तरह से प्रशिक्षक पर निर्भर करता है। यदि आवश्यक हो, तो शैक्षणिक कार्यालय प्रशिक्षक से ग्रेड फॉर्म को प्राप्त करने के बाद ग्रेड मॉडरेशन कर सकता है

6.2 परीक्षक का कर्तव्य

परीक्षक प्रश्न पत्र सेट करने, परीक्षा के दौरान अन्वीक्षण करने, उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन करने, प्रश्नों के उत्तर देने के तरीके और तरीके पर चर्चा करने, प्रश्न पत्र में हल की गई समस्याओं के लिए कुंजी / समाधान पर चर्चा करने के लिए जिम्मेदार है। सही और गलत उत्तर मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिका - इन सभी को सलाह और मार्गदर्शन के साधन के रूप में छात्रों के साथ पेश किया जाता है और अंत में छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड प्रदान किया जाता है।

अध्याय 7

संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन का अनुरक्षण {आईआईपीई अधिनियम, 2017 की धारा -34 (एच)}

- 7.1 प्रत्येक छात्र संस्थान के परिसर के भीतर और बाहर, दोनों तरह से, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के छात्र के रूप में खुद का आचरण करेगा। किसी भी छात्र को किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल होने की आशा नहीं की जाती है, जो संस्थान की गरिमा, प्रतिष्ठा और सम्मान को नीचे ले जाता है। प्रत्येक छात्र संस्थान के शिक्षकों, प्रशासकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति सम्मान और शिष्टाचार दिखाएगा और साथी छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। उन्हें परिसर के आगंतुकों और निवासियों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें आगंतुकों, परिसर में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों और परिसर के निवासियों के लिए उचित ध्यान और शिष्टाचार पर भी ध्यान देना चाहिए।
- 7.2 शिष्टाचार और अलंकरण की कमी; असहनीय आचरण (संस्थान के भीतर और बाहर दोनों); संस्थान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या हटाने या साथी छात्र का सामान चुराना; पढ़ाई में साथी छात्रों को परेशान करना; परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों को अपनाना; संस्थान के नियमों और विनियमों का उल्लंघन; शोर और अनुचित व्यवहार और इसी तरह की अन्य अवांछनीय गतिविधियाँ छात्रों के आचार संहिता के उल्लंघन का कारण बनेंगी।
- 7.3 किसी भी छात्र द्वारा छात्रों की आचार संहिता का उल्लंघन, अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा और सज़ा हो सकती है, जैसे कि फटकार, अनुशासनात्मक परिवीक्षा, जुर्माना, परीक्षा से वंचित करना, प्लेसमेंट सेवाओं के उपयोग से वंचित करना, ग्रेड रोकना, डिग्री रोकना, पंजीकरण रद्द करना और यहां तक कि संस्थान से बर्खास्तगी।
- 7.4 निवास के संबंधित हॉल के वार्डन-इन-चार्ज को फटकार लगाने या जुर्माना लगाने या हॉल के किसी भी निवासी के खिलाफ कोई अन्य उपयुक्त उपाय करने का अधिकार होगा, जो निवास हॉल से संबंधित नियमों और विनियमों या आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।
- 7.5 किसी कोर्स के इंस्ट्रक्टर-चार्ज के पास छात्र को परीक्षा से वंचित करने का अधिकार होगा, जिसमें छात्र को अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है। प्रशिक्षक / शिक्षक के पास कक्षा/प्रयोगशाला आदि में दुर्व्यवहार करने का प्रयास करने वाले छात्र के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
- 7.6 रैगिंग, किसी भी रूप में, कड़ाई से निषिद्ध है और किसी भी उल्लंघन को एक गंभीर अपराध माना जाएगा, यहां तक कि संस्थान से बर्खास्तगी भी हो सकती है, या ऐसा अपराध करने वाले के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की हद तक भी हो सकता है।
- 7.7. सीनेट रिपोर्ट की गई कथित दुर्व्यवहार की जांच और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक स्थायी सिमिति का गठन करेगी। सीनेट इस सिमिति की सिफारिशों पर काम करने के लिए प्रक्रिया भी निर्धारित करेगा।
- 7.8. किसी छात्र या छात्रों के समूह द्वारा छात्रों की आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी छात्र या शिक्षक और निदेशक या संस्थान के किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस समिति को भेजा जा सकता है।
- 7.9. बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में सीनेट अध्यक्ष एक विशेष टीम नियुक्त कर सकता है।

- 7.10. अनुशासनात्मक समिति घोर अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य के मामले में, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हैं जो संस्थान की छिव को धूमिल कर सकते हैं, जांच और/या कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है।
- 7.11. संस्थान से बर्खास्तगी के लिए अनुशंसित एक दोषी छात्र का मामला आमतौर पर सीनेट को अपने अंतिम निर्णय के लिए भेजा जाएगा।
- 7.12. गलती करने वाला छात्र, जो दंडित किए जाने से दुखी महसूस करते हैं, वह सीनेट अध्यक्ष को स्पष्ट रूप से कारण बताकर कि सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए अपील कर सकता है। सीनेट ऐसी अपील अपील पर कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया को निर्धारित करेगा।
- 7.13. एक छात्र जो कुछ बड़े अपराध के लिए दोषी पाया जाता है, उसे सीनेट द्वारा शासक मंडल को एक डिग्री के पुरस्कार के लिए अनुशंसित नहीं किया जा सकता है, भले ही सभी शैक्षणिक आवश्यकताओं को संबंधित छात्र द्वारा संतोषजनक रूप से पूरा किया गया हो।

अध्याय 8 संस्थान में अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए और परीक्षाओं में प्रवेश के लिए शुल्क वसूला जाना {आईआईपीई अधिनियम, 2017 की धारा -34 (आई)}

- 8.1 स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को प्रवेश के समय और आगे के सेमेस्टर के पंजीकरण के समय शुल्क जमा करना होगा।
- 8.2 बी.टेक, एम.टेक.और पीएच.डी के नए छात्र यहाँ निर्दिष्ट के अनुसार फीस का भुगतान करेंगे।

	बी.टेक.	एम. टेक.	पीएच.डी.
कार्यक्रम →	(प्रति सेमेस्टर)	(प्रति सेमेस्टर)	(प्रति सेमेस्टर)
शुल्क	रु 75000/-	कोर्स अभी शुरू नहीं हुआ	कोर्स अभी शुरू नहीं हुआ

अध्याय – 9 संस्थान के छात्रों के आवास की शर्तें {आईआईपीई अधिनियम, 2017 की धारा - 34 (जे)}

- 9.1 आईआईपीई विशाखापट्टणम आवासीय संस्थान है और इसलिए, प्रत्येक पंजीकृत छात्र आवास भवन/ छात्रावास में से उसे सौंपे गए कमरे में निवास करेगा। असाधारण मामलों में, निर्देशक किसी छात्र को अपने माता-पिता / स्थानीय अभिभावक के साथ रहने की अनुमित दे सकता है। हालांकि, ऐसे छात्र पूरी सीट का किराया और ऐसे अन्य बकाये का भुगतान समय-समय पर कर सकते हैं। अंशकालिक छात्र आवास भवन में रहने के पात्र नहीं हैं।
- 9.2 प्रत्येक आवास भवन/ छात्रावास के लिए एक वार्डन होगा और सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर वार्डन और अन्य कर्मचारियों को नामांकित या नियुक्त कर सकते हैं, जैसा शासक मंडल द्वारा अनुमोदित हो। संस्थान के शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य वार्डन-इन-चार्ज और सम्बंधित आवास भवन के वार्डन का कार्यालय संभालेंगे। निदेशक इन नियुक्तियों को करेंगे। भवन के वार्डन प्रभावी रूप और कुशलता से छात्रों की आवासीय स्थिति के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे।
- 9.3 भवन में रहने वाला प्रत्येक छात्र उस भवन में दिए गए मेस में शामिल होगा। हालांकि, वार्डन किसी छात्र को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए मेडिकल आधार पर भवन मेस से छट दे सकते है।
- 9.4 प्रत्येक आवास भवन में एक भवन कार्यकारी समिति (एचईसी) होगी। एचईसी के गठन और इसके कार्यों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय तथा सीनेट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- 9.5 प्रत्येक निवासी, निवासी को आपूर्ति किए गए फर्नीचर और अन्य सामानों के सुरक्षित रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा और कमरे के अधिभोग के दौरान लापरवाही / उदासीन आचरण के कारण किसी भी क्षति या नुकसान के लिए शुल्क वसूला जाएगा।

- 9.6 प्रत्येक निवासी को वार्डन द्वारा घोषित नियत तारीख तक मेस बिल का भुगतान करना होगा।
- 9.7 समय पर बकाया जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप जुर्माना या ऐसे अन्य दंड हो सकते हैं जो कि वार्डन सही समझें। यहां तक कि नियत तारीख के 30 दिनों के भीतर मेस की बकाया राशि भुगतान करने में विफलता के मामले में छात्र का पंजीकरण तक रह किया जा सकता है।
- 9.8 मेस बकाया के भुगतान के अलावा, प्रत्येक निवासी वार्डन-इन-चार्ज द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर हर महीने स्थापना शुल्क भी अदा करेगा। यह संस्थान को देय मेस स्थापना शुल्क के अतिरिक्त है।
- 9.9 निवासी प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचारों को व्यक्त करने, अपने हितों को आगे बढ़ाने और अपने लिए सबसे सार्थक जीवन की शैली का अनुसरण करने के अधिकारों का सम्मान करेंगे। हालांकि, निवासियों द्वारा पार्टी आधारित राजनीतिक प्रचार परिसर के भीतर या परिसर के बाहर निषिद्ध है।
- 9.10 विपरीत लिंग के आगंतुकों का हर समय हॉल्स के आवासीय ब्लॉकों में प्रवेश करना सख्ती से निषिद्ध है।
- 9.11 हॉल परिसर में शराब, ड्रग्स, या किसी भी अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग सख्त वर्जित है।
- 9.12 प्रत्येक निवासी हॉल के सभी नियमों और विनियमों का पालन करेगा जो कि समय-समय पर लागू होते हैं। वॉर्डन द्वारा दोषी छत्रों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
- नोट: वर्तमान में, संस्थान किराए के आवास के तहत चल रहा है और हॉस्टल किराए के भवनों के तहत चलाए जा रहे हैं जिनकी निगरानी हॉस्टल के वार्डन द्वारा की जा रही है जो संस्थान के संकाय हैं। जैसे ही संस्थान की निर्माण गतिविधियां पूरी हो जाएंगी, तब हॉस्टल को संस्थान के स्थायी आवासीय परिसर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जब तक परिसर को अपने स्वयं के परिसर में स्थानांतरित नहीं किया जाता है तब तक संस्थान द्वारा घोषित नियमों और विनियमों, जो की आईआईपीई के बीओजी द्वारा अनुमोदित हो, को लागू किया जाएगा।

दिनांक: 22 अक्तूबर, 2020

कुल सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./326/2020-21]

INDIAN INSTITUTE OF PETROLEUM AND ENERGY NOTIFICATION

Visakhapatnam, the 2nd November, 2020

No. CA-31037/5/2019-CA/PNG.—The following is published for general information:-

CHAPTER – 1 THE ADMISSION OF THE STUDENTS TO THE INSTITUTE (SECTION-34 (A) OF IIPE ACT, 2017)

- 1. The Institute shall plan and organize the courses: Bachelor in Technology (B.Tech.), Master in Technology (M.Tech), Masters in Science (M.Sc), Specialised Domain Specific and Doctoral programmes.
- 1.1 Bachelor in Technology (B. Tech.).

S. No.	Programmes	Duration	Total Intake
(a)	Chemical Engineering	4-year	50
(b)	Petroleum Engineering	4-year	50

1.2 The admission to B. Tech. Programmes shall be made once in a year in July through Joint Entrance Examination(JEE) Advanced Ranking, conducted on an All India Level / Basis by IITs.

- 1.3 The candidates, seeking admission in B. Tech. programmes, shall fulfill the following criteria in addition to the rank in the merit list of Joint Entrance Examination (JEE) Advanced of the respective year. Candidates should have passed intermediate with Science Subjects or 10+2 (PCM) or equivalent examination with minimum 75% marks in aggregate (65% marks in case of students SC/ST &PWD categories).
- **1.4 How to apply**: All candidates fulfilling the criteria as mentioned in Paras 1.2 & 1.3 above shall apply online at '<u>www.iipe.ac.in'</u> after making the payment of Application Fee on giving advertisement by the Indian Institute of Petroleum and Energy (IIPE) separately.
- **1.5** The candidate(s) seeking admission in B. Tech. programmes shall pay Application Fee online at the rate as specified below:

S. No.	Categories	Registration Fee
(a)	General & Other Backward Classes (OBCs)	1000.00 (One Thousand Only)
(b)	Scheduled Castes (SCs)/Scheduled Tribes (STs)/Differently Abled Persons (PDs)	500.00 (Five Hundred Only)

2. M. Tech./Ph.D. Admission

Indian Institute of Petroleum and Energy is an "Institute of National Importance" established under the Act of Parliament to deliver the trained man power and provide all the facilities to pursue cutting edge research in the domain areas of Petroleum and energy. The institute enrolls M.Tech. students in the branches of Chemical and Petroleum Engineering in the first semester of each academic year. The enrollment for Ph.D. programmes in various branches of Sciences and Engineering is generally taken up at the beginning of both the semesters in an academic year.

The eligibility criteria for admission into M.Tech. and Ph.D. programmes is similar to that adopted by the "Indian Institutes of Technology" (IITs) and other premier institutions in India.

2.1 Eligibility for M.Tech programme in "Chemical Engineering":

A 4-year B.Tech./B.E. degree in Chemical Engineering with a first class or minimum 60% marks or 6.0 CPI (55% marks or 5.5 CPI for SC/ST students) in the qualifying exam and a valid GATE Score.

2.2 Eligibility for M.Tech. programme in "Petroleum Engineering":

A 4-year B.Tech. / B.E. degree in Petroleum/ Petrochemical/ Chemical/ Electrical/ Mechanical/ Industrial and Manufacturing Engineering / Civil Engineering with a first class or minimum 60% marks or 6.0 CPI (55% marks or CPI for SC/ST students) in the qualifying exam and with a valid GATE score.

For sponsored candidates, valid GATE score is not mandatory. However, the candidate shall submit a no-objection certificate, leave approval for appropriate period, financial approval for tuition fee and contingency for four semesters from the sponsoring organization at the time of interview.

2.3 The eligibility criteria for Ph.D. programme is as follows:

One, out of the following in appropriate subject areas:

- First class or 60% marks (55% marks for SC/ST/PH) / CGPA or CPI of 6.0 in Master's Degree in relevant Engineering / Technology (M.E./M.Tech.) or equivalent and qualified score of GATE exam, taken before or after M. Tech degree is offred by the qualifying Institute / University.
- First class or 60% marks (55% marks for SC/ST/PH) / CGPA or CPI of 6.0 in Bachelor's Degree in relevant Engineering / Technology and a valid GATE score.
- First class or 60% marks (55% marks for SC/ST/PH)/CGPA or CPI of 6.0 in Master's degree in relevant discipline and a valid score of GATE / CSIR-NET / UGC-NET / NBHM / DBT / GPAT / Rajiv Gandhi National Fellowship / Maulana Azad National Fellowship / DST Inspire Award or any similar Fellowship.

3. Sponsored Category:

- These candidates are sponsored by recognized corporations or R&D organizations for taking up research work at the Institute on a full time/part time basis. Candidates are expected to be released for full time/part time research work at the Institute with full pay for a minimum period of three years (full time)/one year (part time). They will not receive any financial support from the Institute. A candidate working in an R & D Establishment and desiring to do research at his/her parent institution must also provide detailed information about the research facilities and the infrastructure available for carrying out research at his/her organization and a shall submit a certificate that these would be available to him/her for carrying out such research. The candidate has to furnish his/her employer's consent at the time of interview. The candidate under a sponsorship category is not required to have GATE/NET qualification. This is not mandatory.
- The admission process starts with the announcement of admission into M.Tech. and Ph.D. programmes notified through the Institute website. The announcement for admission to various M.Tech./Ph.D. programmes is published in Employment News & various newspapers all over India through publication in National dailies and leading newspapers of different regions of the country.
- A shortlist of applicants qualifying all the selection criteria is prepared by the respective Departments.
- The shortlisted candidates are called for a written test followed by Viva-Voce at the Institute.
- A final merit list of the candidates is prepared by assigning suitable weightage to the previous qualifying examination (B. Tech, M.Tech.), GATE score, marks obtained in the written test and Viva-Voce. Separate merit lists are prepared for the candidates belonging to the General Category, Scheduled Caste Category, Scheduled Tribe Category, OBC Category and Physically Handicapped Category as per the admission criteria.
- Reservation of seats for the students of various categories is as per the guide lines issued by Government of India.
- All SC/ST/OBC candidates shall submit certificates in respect of their claims from the competent authority as notified by the Government for the purpose from time to time.
- The Physically Handicapped candidates shall submit a certificate from authorized Medical Doctors / Hospitals indicating the extent and degree or percentage of physical disability. The percentage of disability is duly verified by the Chief Medical Officer/Medical Board of the Institute before the offer of benefit is extended to the candidate.
- An intimation will be sent to the selected candidates in each category and he/she has to be present on the date of registration at the Institute with registration fee in the form of a Bank Draft, originals of all marks sheets and certificates. The candidates, who fail to appear for the registration process without prior intimation and approval are deemed to have withdrawn from the programme and that seat will be allotted to the next waitlisted candidate in the merit list.

CHAPTER 2 THE RESERVATION FOR THE SCHEDULED CASTES (SC), SCHEDULED TRIBES (ST) & OTHER CATEGORIES OF PERSONS (SECTION-34 (B) OF IIPE ACT, 2017)

- 2.1 In admission to Undergraduate, Postgraduate, Doctoral programmes and all such other courses of the Institute, seats shall be reserved for the candidates of Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs-Non Creamy Layer), EWS and Persons with Disabilities (PWDs) who fulfill the minimum eligibility criteria as stated above as per the norms of Government of India
- **2.2.** The seats in Undergraduate, Postgraduate and Doctoral programmes shall be reserved as per the *norms* issued by the Government of India, which is as under:

(a) Scheduled Castes (SCs) : 15%

(b) Scheduled Tribes (STs) : 7.5%

(c) Other Backward Classes (OBCs- NCL) : 27% (d) Persons with Disabilities (PWD) : 3%*

(Horizontal)

*The reservation is distributed horizontally in overall category.

And any other reservation as enacted by the Government of India, from time to time including EWS 10% and supernumery seats for female candidates will be applicable.

- **2.3** The merit list for admission to all programmes shall be published separately for each branch by allocating seats to the candidates of reserved categories as mentioned in para-2.2 above.
- **2.4** It is mandatory that the candidate of SCs/STs/OBCs/PWD shall mention their category at the time of submission of the application form in the prescribed format and produce the original Caste Certificate of the respective reserved category issued by the competent authority at the time of counselling.
- 2.5 The candidates of reserved categories shall submit the certificates in original issued from an approved District Authority stating the category of Scheduled Caste/Scheduled Tribe / Other Backward Class, to which the candidate belongs. A list of approved authorities from which the respective category certificates can be procured by the candidates is given below:
 - (a) District Magistrate/ Additional Magistrate/ Deputy Commissioner / Collector /Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector /1st Class Stipendiary Magistrate / City Magistrate (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate), Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner.
 - (b) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
 - (c) Sub-Divisional Officer of the area where the candidates and/ or his/her family normally resides.
 - (d) Administrator/ Secretary to Administration/ Development Officer (Laccadive & Minicoy Islands).
- **2.6** It is mandatory that the candidate seeking admission under Reserved categories/classes shall produce the caste/category certificate in his/her name at the time of counselling. The certificate in the name of either of the parents (Mather/Father) shall not be acceptable.
- 2.7 The validity of OBC-NCL certificate would be 1 year (Office Memorandum dated 31st March 2016 issued by DoPT), hence, candidates belonging to this category shall produce OBC-NC certificate, issued by competent authority in the same financial year.
- 2.8 A certificate shall be issued to Persons with Disabilities by a duly notified Medical Board of a District/Government Hospital set up for examining the physically challenged candidates under the provision of the Persons with Disability (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act 1995.
- 2.9 The certificate of PWDs shall indicate the extent of (i.e. percentage of) the physical handicap, it should bear the photograph of the candidate concerned, and one of the Doctors of the consulting Board, issuing the certificates, should countersign it.
- **2.10** The 3% reservation to Differently Abled Persons (PwD) is distributed horizontally over all category and shall not be considered for less than 40% of disabled person.

CHAPTER – 3 THE COURSES OF STUDY FOR UNDERGRADUATE, POST GRADUATE & DOCTORAL PROGRAMMES (SECTION 34 (C) OF IIPE ACT, 2017)

Course:- B.Tech Discipline: Petroleum Engineering

Year & Semester	Course Title
	Engineering Mathematics – I
	Physical Chemistry
	Engineering Mechanics
	Earth Energy and Environment
1 st Semester (1 st Year)	Fundamentals of Electrical Systems
	English for Communication
	Engineering Drawing & Computer Graphics
	Physical Chemistry Laboratory
	EAA – I
2 nd Semester (1 Year)	Engineering Mathematics – II

	Strength of Materials
	Polymers & Surfactants
	Programming and Data Structure
	Introduction to Petroleum Engineering
	Fundamentals of Biological Systems
	Organic Chemistry Laboratory
	Electrical Systems Laboratory
	EAA – II
	Transform Calculus, Probability & Statistics
	Numerical Methods
	Fluid Mechanics & Multiphase Flow
	Sedimentary & Petroleum Geology
3 rd Semester (2 nd Year)	
	Information Technology
	Innovations Laboratory
	Workshop
	EAA – III
	Advance Statistical Techniques
	Phase Equilibria Thermodynamics
	Geomechanics
4 th Semester (2 nd Year)	Transport in Porous Media
4 Schiester (2 Tear)	Well Logging
	Fuels Laboratory
	Fluid Flow Laboratory and Design
	EAA – IV
	Industrial Psychology & Professional Ethics
	Reservoir Engineering I
ath a cord	Hydrocarbon Production Engineering I
5 th Semester (3 rd year)	Drilling & Hydraulic Fracturing Technology
	Instrumentation and Process Control
	Drilling & Fracturing Laboratory
	Reservoir Engineering II
	Hydrocarbon Production Engineering II
	Advanced Drilling Technology
6 th Semester (3 rd year)	Pipeline Engineering
o semester (5 year)	Elective I
	Reservoir Engineering Laboratory
	Instrumentation and Process Control Lab
	Process Safety
	Reservoir Simulation
th ~	Elective II
7 th Semester (4 th year)	Data Analytics and AI for Process Industry
	Production Engineering Laboratory
	Industrial Training
	Project I
	Project Engineering and Management
	Elective III
	Elective IV
8 th Semester (4 th year)	Elective V
• •	Reservoir Simulation Laboratory
	Project II
	Comprehensive Viva-Voce
	1

ELECTIVES				
Elective - I	Unconventional Hydrocarbon Resources	Bio Energy	Waste Water Management	Management Techniques for Industrial Sector
Elective - II	Enhanced Oil Recovery	Solar Energy, Photovoltaic Energy	Advanced Separation	Advanced Material Design
Elective - III	Offshore and deep	Nuclear wind and	Hazardous Waste	Analytical

	sea technology	geothermal energy	treatment and safety devices	Techniques
	Advanced	Petroleum	Air Pollution	Tribology &
Elective - IV	Reservoir	Refinery		Introduction to the
	Modelling	Engineering		Lubricants
	Prospecting, Field	Petrochemical	Nano Materials	Process
Elective - V	Development and	Technology	for Hydrocarbon	Modelling and
	Asset Management		Industry	Simulation

Course:- B.Tech Discipline: Chemical Engineering

Year & Semester	Course Title		
	Engineering Mathematics – I		
	Physical Chemistry		
	Engineering Mechanics		
	Earth Energy and Environment		
1 st Semester (1 st Year)	Fundamentals of Electrical Systems		
	English for Communication		
	Engineering Drawing & Computer Graphics		
	Physical Chemistry Laboratory		
	EAA – I		
	Engineering Mathematics – II		
	Strength of Materials		
	Polymers & Surfactants		
	Programming and Data Structure		
and a (1.37)	Introduction to Chemical Engineering		
2 nd Semester (1 Year)	Fundamentals of Biological Systems		
	Organic Chemistry Laboratory		
	Electrical Systems Laboratory		
	EAA – II		
	Transform Calculus, Probability & Statistics		
	Numerical Methods		
	Fluid Mechanics and Multiphase Flow		
ord o	Chemical Process Calculations		
3 rd Semester (2 nd Year)	Information Technology.		
	Innovations Laboratory		
	Workshop		
	EAA - III		
	Advanced Statistical Techniques		
	Chemical Engineering Thermodynamics		
	Heat Transfer		
th a candara	Chemical Process Technology		
4 th Semester (2 nd Year)	Chemical Reaction Engineering		
	Fluid Flow Laboratory and Design		
	Fuels Laboratory		
	EAA - IV		
	Industrial psychology & Professional Ethics		
	Mass Transfer I		
	Reaction Engineering II		
5th G (2rd	Instrumentation and Process Control		
5 th Semester (3 rd year)	Particle Technology		
	Bio Chemical Engineering		
	Reaction Engineering Laboratory		
	Heat Transfer & Particle Technology Lab		
	Mass Transfer II		
	Transport Phenomena		
6 th Semester (3 rd year)	Computer Aided Process Engineering		
	Process Equipment Design		
	Elective – I		
	Economics		
	Instrumentation and Process Control Laboratory		

7 th Semester (4 th year)	Elective II Data Analytics and AI for Process Industry Project Engineering and Management Process Safety Industrial Training Mass Transfer Laboratory Project I	
8 th Semester (4 th year)	Process Integration and System Design Elective III Elective IV Elective V Project II Comprehensive Viva-Voce	

ELECTIVES						
Elective - I	Unconventional Hydrocarbon Resources	Bio Energy	Waste Water Management	Management Techniques for Industrial Sector		
Elective - II	Enhanced Oil Recovery	Solar Energy, Photovoltaic Energy	Advanced Separation	Advanced Material Design		
Elective - III	Offshore and Deep sea technology	Nuclear wind and geothermal energy	Hazardous Waste treatment and safety devices	Analytical Techniques		
Elective - IV	Advanced Reservoir Modelling	Petroleum Refinery Engineering	Air Pollution	Tribology & Introduction to the Lubricants		
Elective - V	Prospecting, Field Development and Asset Management	Petrochemical Technology	Nano Materials for Hydrocarbon Industry	Process Modelling and Simulation		

PS: The details of PG programs and Doctoral programs and other courses will be displayed in the ordinances, at a later date, with the approval of the competent authority as per Act.

CHAPTER - 4 RULES, REGULATIONS AND PROCEDURES RELATING TO THE UG & PG PROGRAMMES INCLUDING THE ELIGIBILITY CONDITIONS OR CRITERIA FOR AWARDING THE DEGREES, ETC. (SEC. 34 (D) IIPE ACT, 2017)

- 4.1. Credit System
 - 4.1.1 Introduction
 - 4.1.2 Number of Credits in a Course
 - 4.1.3 Course Curricula
 - 4.1.4 Degree Requirements
- 4.2 Grading System
 - 4.2.1 Award of Grades
 - 4.2.2 Conversion of CGPA into percentage marks
 - 4.2.3 Assessment of Performance
 - 4.2.4 Large class assessment
 - 4.2.5 Industrial Training
 - 4.2.6 Assessment of Project Work
 - 4.2.7 Examination
 - 4.2.8 Attendance in class tests, mid-semester and end-semester examinations
 - 4.2.9 Supplementary Examinations
 - 4.2.10 Announcement of Results

- 4.2.11 Grade Revision
- 4.2.12 Withholding of Grades
- 4.2.13 Promotion to next year and discontinuation of study
- 4.2.14 Graduation Requirements
- 4.215 Withdrawal from Institute
- 4.2.16 Striking of the name from the Institute roll list
- 4.2.17 Relaxation
- 4.2.18 Code of Conduct of Students (CCS)
- 4.3 Registration Procedure
 - 4.3.1 Pre-registration Requirement
 - 4.3.2 Dates and Venue of Registration
 - 4.3.3 Clearance of Dues
 - 4.3.4 Advice on Courses
 - 4.3.5 Guidelines for registration of UG students (except 1styear-1st semester)
 - 4.3.6 De-registration
 - 4.3.7 Change of Branch
 - 4.3.8 Students Academically weak

4.1 Credit System

4.1.1 Introduction

The prominent features of the credit system involve:

- (a) The process of continuous evaluation of a student's performance.
- (b) Flexibility to allow the students to progress at a pace suited to individual ability /talent and convenience.
- (c) Subject to the regulations of credit requirements and pre-requisite of courses.

Each course has a certain number of credits assigned. This depends on lecture, tutorial and laboratory contact hours in a week, plus the time expected to be spent by the student outside the formal contact hours in a week. Each course is coordinated by a faculty member, called the 'Course Instructor' (also called 'Instructor-in-charge'). He/She has the full responsibility for conducting the course, coordinating with the work of the other members of the faculty involved in that course, holding the tests and awarding the grades. In case of any difficulty the student is expected to approach the course instructor for advice and clarification. Sometimes, more than one faculty member may be jointly responsible for the course, in this case they are jointly shared by the 'Course Instructors'.

A letter grade, with a specified number of grade points, is awarded in each course for which a student is registered.

4.1.2 Number of Credits in a Course

For each course L-T-P-C are designated as shown below:

L (Lectures) : Number of lecture hours per week.

T (Tutorials) : Number of tutorial hours per week.

P (Practical/Laboratory) : Number of laboratory hours per week.

C (Credits) : Credits for the course.

Credits reflect the number of hours a student has to work per week, inclusive of contact hours. A certain number of Credits are assigned as follows:

The Academic Load, AL, of a given course is calculated using the number of contact hours per week as:

$$AL = 3.0 X L + 1.0 X T + 1.5 X P$$

Depending on the academic load of a course, its credits, C, are assigned as follows:

Academic Load (AL) =	5-6	7-8	9-12	13-15
Credits (C) =	2	3	4	5

The majority of courses have 4 credits, i.e. C = 4. For a course with 4 credits, generally a student would have to put in approximately 12 to 14 hours of work per week. Of course it would vary with the individual's ability.

For M. Tech/PhD, each course will have 4 credits.

4.1.3 Course Curricula

The detailed approved curricula for various disciplines along with the syllabus for each subject for all the programs are made available on the Institute website: http://iipe.ac.in.

4.1.3.1 General course structure

The general course structure for all programs of B. Tech comprises of the following components:

- (a) Common Curricula for First Year.
- (b) Theory and Laboratory/Design/Sessional subjects with regular class room contact.
- (c) Four non-credit components of Extra Academic Activity (EAA) from 1st to 4th semester.
- (d) Industrial training.
- (e) Viva-voce.
- (f) Projects in two parts.

4.1.3.2 Subjects:

All subjects prescribed in curricula except EAA have credits assigned to them. Subjects are broadly classified into two categories:

- (a) Theory, Laboratory, Sessional and Design based course have a regular class room/laboratory contact. These subjects have a lecture-tutorial-Experiment /design component (L-T-P) to indicate the contact hours per week. Their L-T-P pattern may be (L-T-0, L-0-0, 0-0-P and in some cases L-T-P).
- (b) Comprehensive Viva-voce, project, field trips and Industrial training/Office training which do not have regular class room contact.
- (c) Teaching of subjects would be reckoned in terms of credits.

4.1.3.3 Subject pre-requisites:

A course subject may have one or more subject-topics listed as its pre-requisite. A student who has qualified in all the subject-topics in the pre-requisite would be allowed to register in the subject. The teacher concerned would have the prerogative to waive the pre-requisites for a student if he/she is satisfied through a test or if he is satisfied that the student has otherwise gained sufficient proficiency to take up the subject.

4.1.3.4 Extra Academic Activity (EAA):

Every student must register and complete the EAA requirements as laid down in the curriculum.

- EAA is classified into four main groups such as National Credit Corps (NCC), National Service Scheme (NSS), National Sports Organization (NSO) and Health and Fitness (HF).
- Further NCC is classified into Electrical & Mechanical Engineering Wing (EME) and Air Wing (ARW).
- NSS classified into 15 units.
- NSO classified into different sports such as athletics, badminton, basket ball, football, hockey, swimming, tennis, table tennis, volleyball, cricket
- HF classified into 10 units.
- All the above EAA is being coordinated by Program Coordinator and the individual modules designed and planned by Program officers.
- Students exercise their choice of EAA component at the time of admission.

- Allocation of EAA component is made centrally based on their choice and availability.
- Clearing EAA s mandatory for the award of degree.
- The normal duration of the program leading to the award of the B Tech degree under these Regulations is -4 years.

4.1.3.5 Co-ordinated course

A co-ordination committee would be constituted for each subject taught by more than one teacher of one or more Departments/Centers. Each committee would consist of all the teachers who are involved in the teaching of the subject during the semester. One of its members would be nominated by the Head of the Department (HoD), under whose name the subject is being offered, to serve as its chairman.

• **Tenure:** The semester in which the subject is being offered.

• Function:

- (a) To lay down the course plan of the subject.
- (b) To coordinate instructions and progress of teaching in the subject and to ensure that the full syllabus is covered.
- (c) To review periodically the performance of students who have registered in the subject.
- (d) To forward the results of the examinations and the final grade obtained by each student taking the subject to the concerned HoD.
- (e) To moderate the question papers on the subject and ensure that the syllabus is being covered by the question paper.

• Frequency of meeting:

Each co-ordination committee shall meet at least four times during the semester.

4.1.3.6 Industrial training and field work.

The curricula for all B. Tech programs would include compulsory industrial training for 8 weeks carrying 2 credits, to be carried out in the summer vacation at the end of the 6th semester.

- (a) The allotment of training programs of all the students by Career Development Center (CDC) will be frozen by a suitable and fixed deadline each year. No further change will be entertained under any circumstances.
- (b) A student after being selected in an organization by CDC cannot opt out of his training from the organization under any circumstances.
- (c) Any arrangement of training in industry or academia (within or outside the country) has to be routed though CDC via the Professor-in-Charge of training of the respective departments.
- (d) Evaluation: The performance of the student in the summer training will be evaluated based on his/her submission of a certificate rom the organization of his training followed by a combined vivavoce/presentation and report examination.

4.1.4 Degree Requirements

The degree requirements for undergraduates are specified in terms of

- (a) Minimum total credits to be earned. These will be fixed by each department and will generally be between 165 and 175.
- (b) Minimum credits to be earned in different areas (Engineering, HSS, Sciences, others). Details of these will be given later, and will be important while giving options for electives.

These requirements make the programme flexible, as the students can choose courses depending on their varying interests, as long as they satisfy the minimum requirement.

The degree requirement for M. Tech is 72 credits. These include 8 credits for the summer internship.

4.2 Grading System

4.2.1 Award of Grades

As a measure of students' performance a 7-scale grading system using the following letter codes (grades) and corresponding grade points per credit, as shown in **Table 4.2.1** will be followed.

Table 4.2.1					
Performance Letter Grade Points per credit					
Excellent	Ex	10			
Very good	A	9			
Good	В	8			
Fair	С	7			
Average	D	6			
Pass	P	5			
Fail	F	0			

Besides this, there shall be one grading symbol **X** is used to indicate that the student is **Deregistered/Debarred** in that particular subject. A 'Semester Grade Point Average' (SGPA) will be computed for each semester. The SGPA will be calculated as follows:

$$SGPA = \frac{\sum_{i=1}^{n} C_i g_i}{\sum_{i=1}^{n} C_i}$$

where n is the number of subjects **registered and cleared** for the semester, C_i is the number of Credits allotted to a particular subject, and g_i is the grade points carried by the grade awarded (as shown in the above table) to the student for the subject. **SGPA** will be rounded off to the second place of decimal and recorded as such. The **SGPA** would indicate the performance of the student in the semester to which it refers.

Starting from the second semester at the end of each semester 5, a 'Cumulative Grade Point Average (CGPA)' will be computed for every student as follows:-

$$CGPA = \frac{\sum_{i=1}^{m} C_i g_i}{\sum_{i=1}^{m} C_i}$$

Where, m is the total number of subjects the student has **registered and cleared** from the first semester onwards up to and including the semester S. C_i is the number of Credits allotted to a particular subject s_i and g_i is the grade-point carried by the grade awarded (as given in the above table) to the student for the subject s_i . **CGPA** will be rounded off to the second place of decimal and recorded as such.

The **CGPA** would indicate the cumulative performance of the student from the first semester up to the end of the semester 's' to which it refers. The **CGPA**, **SGPA** and the grades obtained in all the subjects in a semester will be communicated to every student at the end of every semester. For determining the *inter se* merit ranking of a group of students, only the rounded off values of the **CGPAs** will be used.

When a student gets the grade **F** in any subject during a semester, the **SGPA** and the **CGPA** from that semester onwards will be tentatively calculated, taking only **zero point** for each such **F** grade. After the **F** grade(s) has/have been substituted by better grades during any subsequent semester examination, the **SGPA** and the **CGPA** of all the semesters, starting from the earliest semester in which the **F** grade has been updated, will be recomputed and recorded to take this change of grade into account.

4.2.2 Conversion of CGPA into percentage Marks:

In case of a specific query by students/employers regarding conversion of **CGPA** into percentage marks, the following formula will be used for notional conversion of **CGPA** into percentage marks.

 $Formula: \% Marks = CGPA \times 10$

4.2.3 Assessment of Performance

There will be continuous assessment of a student's performance throughout the semester and grades will be awarded by the subject teacher/co-ordination committee formed for this purpose.

- **4.2.3.1** In general there shall be no rigid of marks-to-grade linkage. Difficulty Levels of the examinations, tests, assignments, viva-voce and other factors that contribute to the final marks are to be considered by the teacher/co-ordination committee of a subject while converting marks into letter grades.
- **4.2.3.2** (a) The grades **F** and **Ex** are to be considered as bench mark grades.
 - (b) The range of cut-off marks below which a student would be assigned an **F** grade is 30-35 for the theory component and 35-40 for the laboratory component, the exact cut-off marks is to be decided by the teacher/coordination committee.
 - (c) The exceptionally brilliant performance is to be assigned an **Ex grade** Even the best student of any class needs to be good enough to be awarded the **Ex** grade.
 - (d) For subjects which have a laboratory component (P-component) along with the theory, to secure any grade higher than **F** a student has to achieve individually more than the cut-off marks in both the theory component and the laboratory component. Separate marks, each out of 100 (hundred), in the theory component (L- & T- components) and the laboratory component are to be ascertained first. A composite mark for the subject out of 100 is then to be computed by taking appropriate contribution of laboratory component (Table: 4.2.3.2a) and only theory component and only laboratory component (Table: 4.2.3.2b) as shown in Tables:

Table: 4.2.3.2 a				
L-T-P	Credit	Theory (L-T component)	Laboratory (P component)	
4-0-6	8	50	50	
3-0-6	7	40	60	
4-0-3	6	70	30	
3-1-3	6	70	30	
1-0-8	6	20	80	
3-1-2	5	80	20	
3-0-3	5	60	40	
3-0-2	4	75	25	
2-0-3	4	50	50	
1-0-5	4	25	75	
2-0-2	3	70	30	
1-0-3	3	30	70	
1-0-2	2	50	50	

Table: 4.2.3.2b					
Only Theory	Only Theory		Only Laboratory		
Marks Range (m)	Grade	Marks Range (m)	Grade		
$m \ge 90$	Ex	$m \ge 90$	Ex		
$80 \le m < 90$	A	$80 \le m < 90$	A		
70 ≤ m < 80	В	$70 \le m < 80$	В		
$60 \le m < 70$	С	$60 \le m < 70$	С		
$50 \le m < 60$	D	$50 \le m < 60$	D		
$35 \le m < 50$	P	$40 \le m < 50$	P		
m < 35	F	m < 40	F		

4.2.4 Large Class Assessment:

In the case of a relatively large class and/or classes where the performance level depicts more or less a normal distribution:

- (a) The average performance (around mean value of marks) is to be assigned **C** grade. However, if by teacher's /co-ordination committee's opinion / perception the general level of the class is considered to be appreciably high, the average performance may be assigned **B** grade.
- (b) All other marks to grade conversion are to be done relatively with respect to the average performance in between (but excluding) the **F** and **Ex** grades, which have already been assigned, by choosing appropriate boundary marks between grades.
- (c) Normally, in a reasonably large class of students distribution of grades is expected to be as follows:

Grade	Distribution
Ex	≤ 10%
A	10 - 20 %
B, C, D	20 - 35 %
P	10 - 25%
F	< 50%

Table:4.2.4

- **4.2.4.1** In the case where a student appears in the supplementary examination or attends summer quarter, the conversion from 'marks to grade' would be done applying the same norm as was framed for the original class.
- **4.2.4.2** For classes where excessive bunching occurs resulting in almost all the marks tending to cluster into same category, conversion from 'marks to grade' may be done using the Table 4.2.3.2b where m stands for the marks obtained. However, the teacher may, on his/her perception of the difficulty level of assessment process undertaken, alter the boundary (cut-off) marks by ± 5 marks.
- **4.2.4.3** For subject in which the theory component is greater than 1 (one), the subcomponents and the respective weights assigned to these are given below

Subcomponent	Weight
Teacher's Assessment	20%
Mid-Semester Examination	30%
End-Semester Examination	50%

Table:4.2.4.3

- **4.2.4.4** For assigning marks in Teacher's Assessment (T.A.) performance in home assignments, class-tests, tutorials, viva-voce, attendance etc., are to be considered. At least two class tests are to be conducted for a given subject. The weights of different sub-components of T.A. are to be announced by the teacher at the beginning of the Semester.
- **4.2.4.5** For subjects in which the theory component is 1 (one), there would be no Mid-Semester or End-Semester Examination. The marks of the theory component would be decided by performance in class-tests, home assignments, tutorials (if any), viva-voce, attendance etc. At least two class tests are to be conducted for the theory component of such a subject. The weights of different sub-components are to be announced by the teacher at the beginning of the Semester.
- **4.2.4.6** For assigning marks in the laboratory component (P-component) the relevant sub-components that are to be considered are day-to-day work, regularity, tests (at least two must be conducted), assignments, viva-voce etc. Percentage weights of the different sub-components in deciding the final marks are to be announced at the beginning of the Semester.
- **4.2.5 Industrial training:** The eight-week industrial training undergone by the students in the summer vacation after the sixth semester would be assessed within five weeks after the commencement of the seventh semester. The students are required to submit a written report on the training received and give a seminar, on the basis of which a grade would be awarded. The students are also required to submit to the Head of the Department a completion

certificate in the prescribed form from the competent authority of the organization where the training was received, without which he/she would not be assessed.

4.2.6 Assessment of Project work

4.2.6.1 Performance in the various activities involved in the project would be assessed individually at the end of each semester in which it is being carried out as per the curriculum. The student is required to submit a written report at the end of the semester. The Head of the Department would appoint a 'project evaluation board' for purpose of assessment. The different components of evaluation and the weights assigned to these components are given in the Table (4.2.6.1) below:

Table: 4.2.6.1

Subcomponent	Weight
Supervisor's Assessment	40%
Project Report/Thesis (to be assessed by the board)	20%
Evaluation Board's assessment	40%

The student is required to give a seminar on the project work done. The evaluation board would conduct the vivavoce. Dates for conducting the seminar and the vivavoce, to be held within ten days after the end-semester examination, would be announced in the academic calendar.

4.2.6.2. The grades for projects of 7th, 8th semesters for B.Tech. have to be submitted within the respective deadline of grade submission as per Academic Calendar. If a student cannot complete the project for any reason, by deadline, he/she will get an 'F' grade. The extension of project in a semester can be made with the prior approval by Dean UGS on the requisition, the application submitted by the student through his/her Project Supervisor and Departmental Head. The **deadline for submission** of the grades for the extension availed in projects allotted in Autumn Semester (7th Semesters) will be **three days** before the registration of the next Spring Semester, while the **deadline for submission** of the grades for the extension availed in the projects allotted in the Spring Semester (8th Semesters) will be June 30 of the concurrent year. In case of project extension, a student will be awarded one grade less than that actually obtained by him/her.

If a student cannot clear the project for the 7th semester, he/she can register the same along with 8th semester project. In such case, he/she will get one grade less than that actually obtained in the evaluation of project part I (7th semester component).

4.2.6.3 The Head of the Department would constitute the Viva-Voce Board(s) for conducting the comprehensive viva-voce examination as per the requirement of the curriculum. The Board would decide the relative weights of the different aspects of the viva-voce and decide the grades to be awarded to the students. The dates of the viva-voce, to be conducted within ten days after the now-running end-semester examination, would be announced in the academic calendar.

4.2.7 Examinations

- **4.2.7.1** Mid-Semester and the End-Semester Examinations in respect of the theory component of the subjects will be conducted on the dates specified as per academic calendar.
- **4.2.7.2** Examination for some subjects will be held centrally while for the others it will be held in the respective Departments. A student will be issued an Admit Card for appearing in an examination, only if he/she has:
 - Paid all Institute and 'Hall of Residence' dues of the semester.
 - Not been debarred from appearing in the examination as a result of disciplinary proceedings.
- **4.2.7.3** A student may be debarred from appearing at the Mid-Semester or End-Semester Examination on the report of a teacher / Chairman, coordination committee, if his/her:
 - Attendance at lecture/ tutorial/ laboratory classes has not been satisfactory during the period, and/or,
 - Performance in the assignment works during the semester has not been satisfactory.

4.2.8 Attendance in class tests, Mid-semester and End-Semester examination:

4.2.8.1 Class tests, mid-semester examinations, assignments, tutorials, viva-voce, laboratory assignments, etc., are the constituent components of continuous assessment process, and a student must fulfil all these requirements as prescribed by the teacher/Co-ordination committee of the subject. If due to any compelling reason (such as his/her illness, calamity in the family, etc.) a student fails to meet any of the requirements within / on the scheduled date and time, the teacher/Coordination committee in consultation with the concerned Head of the Department may take such steps (including conduct of compensatory tests / examinations) as are deemed fit. However, such student(s) should submit / give his / her reasons for not attending examination(s) to the concerned HoD through faculty mentor within 3 days of the scheduled date mentioned above with proper documentation failing which his / her request will not be obliged.

4.2.8.2 Attendance in end-semester examination: Appearing in the End-semester examination in the theory component of a subject is compulsory for a student. If a student fails to appear in the End-semester examination, he / she will be assigned an F grade in the subject and will not be permitted to register in the summer quarter or appear at the supplementary examination for the subject as stipulated.

However, if a student misses the End-semester examination due to a compelling reason like serious illness of himself / herself or a calamity in the family, he / she may appeal to the Dean, Students' Affair, through his / her Head of the Department for permitting himself / herself to register in the summer quarter or appear at the supplementary examination(s), as the case may apply.

A subcommittee of the Undergraduate Program & Evaluation Committee (UGPEC) consisting of the following members may, after examining the documents and being convinced about the merit of the case, recommend him / her to register in the summer quarter and / or to appear in the supplementary examination(s) with full credit, condoning his/her absence:

Undergraduate Program & Evaluation Committee (UGPEC)

- The Dean (Academics) Chairman.
- Dean of Students' Affairs Convener.
- The Dean of Undergraduate Studies/HoD.
- One Medical Officer.
- The Section-In-Charge/Deputy Registrar/Registrar Secretary.

Students will be permitted to appear the examinations in only those subjects for which they have registered at the beginning of the semester and have not been debarred.

The final grades awarded to the students in a subject must be submitted by the teacher/chairman, co-ordination committee, within seven days from the date of holding the examination to the concerned Head of the Department for onward transmission to the Assistant Registrar (Under Graduate Studies).

The evaluation of performance in the 'Extra Academic Activities (EAA)' will be done by the respective program officers.

For the benefit of and as a process of learning by the students, the scripts of all class tests, Mid-semester examinations, assignments etc., after correction would be shown to the students within 4 weeks from the date of tests/examinations. The scripts of the End-semester examinations are to be shown within 15 days from the date of commencement of the next semester.

With a view to assist the students, who failed in one or more subjects in the autumn and/or spring semester in a year, a Summer Quarter will be conducted immediately following summer vacation for making-up their deficiency and improve their performance.

The regulations for running the Summer Quarter are separately notified. In order to provide an additional opportunity to the students who failed (obtained 'F' grade) in one or more subjects, due to not being able to score higher than the cut-off marks in the theory components, in either the autumn and/or the spring semester in a year, Supplementary Examinations equivalent to the End-semester examinations will be conducted centrally by the Academic Section, in the month of July (before commencement of the next session) every year. Regulations relating to the Supplementary Examinations are notified/given separately.

4.2.9 Supplementary Examinations:

- **4.2.9.1** A student is eligible to appear in the supplementary examination in a subject if he/she actually has appeared at the End-semester examination in that subject and obtained the grade F.
- **4.2.9.2** However if a student has been absent for the End-Semester examination (a) due to medical reasons, that are duly certified by the authorized Medical Officer or (b) due to a calamity in the family. Under these circumstances his / her case will be considered for appearing the supplementary examination with full credit (capping rule for awarding grade will be relaxed). In such cases the student must apply in writing to the Dean (Undergraduate Studies) through the Head of the Department.
- **4.2.9.3** All medical cases will be put up for consideration to the Medical Board. Only on certification by the Medical Board, the student will be granted full credit.
- **4.2.9.4** A student will not be allowed to appear for more than 20 credits in the supplementary examinations in a year irrespective of number of subjects.
- **4.2.9.5** Those students desirous to appear in the supplementary examinations must submit their application, countersigned by the teacher(s) of the subject(s) or the Head of the Department concerned, along with the necessary fees to the Academic Section by the date as notified by the concerned section.
- **4.2.9.6** The supplementary examinations shall be held on such dates as laid down in the Academic Calendar for the year or as notified separately.
- **4.2.9.7** The grade in the subject scored by the student appearing in the supplementary examination will be recomputed by substituting the marks of the end-semester in the total marks scored by that student in the supplementary examination. Unless granted, full credit by virtue of **clause 4.2.9.2** a student is entitled only to one grade lower than the actual grade thus scored, except that the performance grade **P** remains unaltered, as elucidated in the table below:

Table: 4.2.9.7

Grade obtained	Grade to be awarded
Ex	A
A	В
В	С
С	D
D	P
P	P
F	F

- **4.2.9.8** The final grades awarded to the students must be sent to the Academic section on or date specified in the academic calendar.
- **4.2.9.9** A consolidated department wise list shall be prepared by the Academic Section from ERP and communicated to the Department. The Department shall be responsible for conducting re-examination and/or supplementary examination at the Departmental level. However, the central time table will be drawn by the Institute for this purpose.

Moreover, supplementary / summer quarter examinations for the first year students shall be conducted centrally.

4.2.9.10 Special classes for three weeks (during summer vacation) will be organized (only for theory component of the subjects) with the consent of respective faculty with due registration. to make-up deficiencies of the students appearing for supplementary examinations

4.2.10 Declaration of Results

4.2.10.1 Grade Submission:

The grade submission has to be made within a maximum period of 10 (ten) days from the last date of the semester examination specified in the Academic Calendar. Beyond that date, permission has to be taken from the competent authority for the grade submission and accordingly the Academic Section will allow for late submission of the grade.

4.2.10.2 The grade submission will be made online. A print out of the submitted grade has to be taken and signed by the teacher concerned. The signed copy of the grade must be submitted to the academic section within the due date. Apart from the online grade submissions, the details of the Mid - Semester, End - Semester Examination and TA marks have to be entered online for those students who have obtained F grade.

The Institute will notify online the failures' list to the concerned student (s) once the hard copy of the failed students with all these details signed by the concerned teacher(s) and approved by the UGPEC (Under Graduate Program Evaluation Committee) of the institute is received by the Academic Section through the HoD

4.2.10.3 The display of performance records/showing the evaluated answer scripts of the end-semester examination of a subject has to be made within a maximum period of 9 (nine) days from the last date of the semester examination specified in the Academic Calendar. The mid-semester answer scripts, however, must be shown within 20 (twenty) days from the last date of the mid-semester examination. For supplementary examination, the display of performance records / showing evaluated answer scripts of a subject has to be made within a maximum period of 3 (three) days after the completion of supplementary examination.

4.2.11 Grade Revision:

A letter grade (A,B,C,D...) once awarded shall not be changed unless the request made, upon detection of genuine error of omission and / or commission by the concerned teachers / Coordinators with all relevant records and justification and recommended by the Departmental UG committee and Head of the Department and approved by the Chairman, Senate/Dean, UGS within due date as provided in **sub section 4.2.10.1.**

4.2.11.1

For the subjects of 2^{nd} semester, no change will be permitted in the grade submitted. For the subjects of re-examination, supplementary examination of both 1^{st} and 2^{nd} semesters, the change of grade has to be made within a maximum period of 3 (three) days after the UGPEC meeting considering the re-examination and supplementary examination results.

4.2.11.2

For the subjects of 8th semester (for 4 year B.Tech. students), the change of grade has to be made within a maximum period of 3 (three) days after the Senate meeting considering the results. No change will be permitted for reexamination, and supplementary examination grades. However, in the extraordinary circumstances, the grade change will be allowed only after approval of the Chairman, Senate within a maximum period of 1 (one) day after the UGPEC meeting considering the re-examination and supplementary results.

4.2.11.3

Normally a student should complete all the requirements consecutively in eight semesters for B.Tech. Degree. However, academically deficient students can complete their requirements within the maximum time limits specified.

4.2.11.4

A student, whose academic records at the end of any semester clearly indicate that he/she will not be able to qualify for the degree for which he/she had been admitted within the limits of time specified, shall have to discontinue studies and leave the Institute when asked to do so.

4.2.12 Withholding of Grades:

The Grade Sheet of a student may be withheld for the reasons: proven case of indiscipline pending against a student or the student fails to clear the dues pending against him/her. Reasons for withholding the grades will be conveyed in writing.

4.2.13 Promotion to next year and discontinuation of study

- **4.2.13.1** A student has to clear $2/3^{rd}$ of the registered credits in 1^{st} year (after supplementary examinations) to enable him/her to register for the 2^{nd} year, failing which a student repeats the 1^{st} year by registering for the subjects with grades **F**. The student may also register for some subjects with grade **P** to improve CGPA.
- **4.2.13.2** If after repeating the 1st year, the student fails to clear the required credits (after the supplementary examinations), the student shall be asked to leave the Institute.

- **4.2.13.3** At the end of 2^{nd} year, a student will have to clear all the 1^{st} year subjects and in addition $2/3^{rd}$ of the credits of the 2^{nd} year level registered subjects, failing which the student repeats the 2^{nd} year by registering for the subjects with grade **F**. The student may also register for some subjects with grade **P** to improve upon his CGPA.
- **4.2.13.4** The same rule under section 4.2.13.3 applies for promotion from 2nd year onwards.
- **4.2.13.5** EAA shall be de-linked from the year repeating policy. The students, however, must complete the EAA component before graduation. EAA shall be, however, treated on par with any other subject as far as Scholarships / Prizes/ Awards/ Dual Degree Assistantships/Registration (and continuation) of Minor/Micro specialization/ Registration of Additional Subjects are concerned.
- **4.2.13.6** As per the current promotion policy, the student has to repeat a complete Academic Year even if he/she is eligible for promotion at the end of Autumn Semester by clearing the constraining (backlog) subject. Thus, if the student has cleared the constraining(backlog) subject/subjects in the Autumn Semester, he/she must be treated as promoted and should be allowed to register for all the eligible academic components of the next year in the Spring Semester. However, if there are other Backlog subjects of the Spring Semester then the student must first register for these.

4.2.14 Graduation Requirements:

In order to qualify for a B. Tech degree a student must:

- **4.2.14.1** Complete all the credit requirements for the degree as laid down in the prescribed curriculum of the discipline.
- **4.2.14.2** Obtain CGPA of 6.00 or higher at the end of the semester in which he/she completes all the requirements for the degree.
- **4.2.14.3** Have cleared all dues to Institute, the Hall of residence (Hostel), the library and the Departments.
- **4.2.14.4** Normally a student should complete all the requirements consecutively in eight semesters for a B. Tech degree. However, academically deficient students can complete their requirements within the **maximum time limit of 8-years**.

4.2.15 Withdrawal from the Institute:

- **4.2.15.1** A student who has been admitted to an undergraduate degree program of the Institute may be permitted to withdraw temporarily for a period of one semester or more from the Institute on grounds of prolonged illness or acute problem in the family which compelled him / her to stay at home, provided:
 - (a) he/she applies to the Institute within 15 days of the commencement of the semester or from the date he / she last attended his / her classes whichever is later, stating fully the reasons for such withdrawal together with supporting documents and endorsement of the father / guardian.
 - (b) the Institute is satisfied that, inclusive of the period of withdrawal, the student is likely to complete his requirements for the degree within the time limits specified and that there are no outstanding dues or demands from him / her by the Institute / Hall / Department / Library / Gymkhana / NCC, may grant permission.
- **4.2.15.2** A student who has been granted temporary withdrawal from the Institute under the provisions will be required to pay the tuition fee and other essential fees / charges for the intervening period till such time as his / her name is borne on the Roll List.
- **4.4.15.3** A student will be granted only one such temporary withdrawal during his / her tenure as a student of the Institute.
- **4.4.15.4** A student who has been granted a temporary withdrawal on medical grounds will be allowed to re-join and resume his/her studies only after being declared medically fit by the authorized Medical Officer.

4.2.16 Striking-off the name from the Institute Roll List

If a student does not register for 3 (three) consecutive semesters, without the approval of the competent authority his / her name will be struck off from the Institute Roll List.

4.2.17 Relaxation

The Senate may, under exceptional circumstances, consider any case of a student having a minor deficiency in respect of any of the requirements stated in these Regulations and relax the relevant provision of these Regulations based on the merit of the case. The grounds on which such relaxation is granted shall invariably be recorded and cannot be cited as precedence.

4.2.18 Code of Conduct of Students (CCS)

Each student is expected to behave according to the following CCS:

- (a) Conduct yourself, at all times, in a manner befitting your association with an Institute of national importance;
- (b) Show due respect and courtesy to the teachers, administrators, officers and employees of the Institute;
- (c) Pay due attention and courtesy to the visitors of the Institute and residents of the campus;
- (d) Show good neighborly behavior to fellow students;
- (e) Be logical and lucid in expressing your own opinions;
- (f) Show due respect to the opinion of others even if it differs from your own opinion;
- (g) Do not make any attempt to breach the rules and regulations of the Institute;
- (h) Do not use unfair means during examinations if any student caught first time in practicing UFM, then he/she will have to repeat all the courses of that particular semester and If any student caught second time in practicing UFM, then he/she will be terminated from IIPE and no mercy appeal in this regard will be accepted;
- (i) Do not pinch or damage the Institute property, or belongings of fellow students;
- (j) Do not disturb other fellow students while they are studying;
- (k) Do not exhibit noisy and unseemly behavior;
- (l) do not indulge in ragging in any form, whatsoever;
- (m) Do not indulge in any activity which can possibly tarnish the image of the Institute;
- (n) Any other similar undesirable activity must be avoided.
 - Any violation of the CCS shall invite disciplinary action, which includes even expulsion from the Institute.
 - The Instructor/Tutor is authorized take appropriate action against a student who misbehaves in the class. The details of the incident will immediately be communicated to the Academic Coordinator (AC) by the instructor concerned.
 - The Chief Warden has the authority to reprimand, impose fine or take any other suitable measure
 against a resident who violates either the CCS or rules and regulations pertaining to the Halls of
 Residences.

Involvement of a student in ragging, in any form, may lead to his/her expulsion from the Institute. The orders of the Hon 'ble Supreme Court of India in this regard will be duly followed.

The Disciplinary Committee (DC) of AC will examine the case(s) of students who violate or attempt to violate the CCS. After establishing that the CCS has been violated, DC will recommend the punishment, consistent with the degree of violation of the CCS to the Chairperson, AC. The following is a sample of the kinds of punishments:

- Reprimanding a student;
- Putting the student on Disciplinary Probation;
- Imposing a fine (monetary or otherwise) on the student;
- Debarring the student from appearing in the examination of some course/s;
- Canceling the registration of the student in the semester in which the CCS is violated;
- Debarring the student from using the placement services of the Institute;
- Suspending the student from attending the Institute for a specified period;
- Terminating the academic programme of the student on disciplinary grounds.

Any action that amounts to terminating the academic programme of a student on disciplinary grounds requires approval of the AC.

The AC may not recommend a student, who is found guilty of some major offence, to the Board of Governors of the Institute, for the award of a Degree even though the student has successfully completed all the academic requirements.

4.3 Registration Procedure

4.3.1 Pre-registration requirement

From the 2nd semester onwards, only those students will be permitted to register who have,

- (a) Cleared all Institute and Hostel dues of the previous semester
- (b) Paid all required prescribed fees for the current semester, and
- (c) Not been debarred from registering for a specified period on disciplinary and other ground.
- (d) For student(s) repeating a year, the entire amount for the respective semester as tuition fee has to be paid at the time of registration.

4.3.2 Dates and Venue of Registration

Eligible students will be presented with a broad time window, as specified in the Academic calendar to pay necessary fees and finalize his/ her subject registration by suitable choice of Elective/ Additional/Unregistered/ Backlog etc. subjects for each semester. The date, time and venue of registration will be announced in advance. Since registration is a very important procedural part of the credit system, it is absolutely essential that all students present themselves on the specified time frame. No late registration is allowed. However, late registration is permitted only if a student has taken prior permission or has medical reason/calamity in the family or under any exceptional / emergency circumstances. If a student does not complete registration within the deadline intentionally, he / she has to pay penalty as prescribed to complete his / her registration process.

4.3.3 Clearance of Dues.

At the time of admission, the student must pay the fees and make other specified payments before he/she can be registered for courses. In subsequent semesters, the student should obtain two 'No Dues Certificate', before he / she can be registered for the courses of a semester, one from the 'Hostel Warden' and the other from the 'Institute Accounts Officer'. These should be produced at the time of registration. The Warden gives the 'No Dues Certificate' when the student has no mess arrears in the previous semester and has paid the mess advance for the current semester.

The second clearance is for 'Institute dues' that should be paid at the 'Accounts Desk' in the registration hall, by cash, or by bank drafts or online transfer (which ever is acceptable at the time of payment). The 'Institute dues' will include the current semester's tuition fees, other dues as well as the previous semester's arrears, if any. The drafts should be drawn in the name of IIPE, Visakhapatnam.

4.3.4 Advice on Courses

All students have to consult their Faculty Advisors/Academic Coordinators and get their registration slips signed by them. One Faculty Adviser is normally appointed for a batch of students in a particular discipline, who will chalk out the complete programme of study of each student, and advise him/her on the courses to be taken.

- 4.3.5 Guidelines for registration of UG students (except 1st year-1st semester).
- **4.3.5.1** A student who has cleared all curricular requirement upto the previous semester will register for all subjects of current semester in accordance with the curriculum.
- 4.3.5.2 Students cleared **all subjects** (including through supplementary examination) of (S-2)th semester with CGPA less than 6.00 (CGPA <6.00) may take subjects of **P-graded** (for improvement) along with all subjects of **S**th semester upto a maximum credit **limit of 28**.
- **4.3.5.3** All backlog-subjects of the corresponding semester [i.e. of $(S-2)^{th}$ semester] have to be register first in the S^{th} semester.
- **4.3.5.4** Students having only one backlog-subject in $(S-2)^{th}$ semester with CGPA greater than or equal to 6.00 (CGPA \geq 6.00) may register for the prescribed credits of the S^{th} semester in addition to that backlog-subject.
- **4.3.5.5** For students having more than one backlog-subjects in (S-2)th semester, the registered credit in the Sth semester inclusive of backlog-subjects must not exceed 28.
- **4.3.5.6** For students repeating a (academic) year, the registered credit in a semester must not exceed 16. He/She may register for subjects of P-graded (for improvement) along with backlog-subjects with total registered credit not exceeding 16.
- **4.3.5.7** The credits of Industrial training, Field trips, comprehensive Viva-voce and EAA should be excluded while calculating 28 or 16 credit limits per semester for backlog / year repeating students.
- **4.3.5.8** To register for a subject, prerequisite must be taken care of. Students may be allowed to take Departmental elective subjects instead of professional breadth electives. Registration in the subjects of same slots will not be allowed.
- 4.3.5.9 A student who has been debarred from appearing an examination either
 - (i) as per recommendation of the subject teacher for unsatisfactory attendance or
 - (ii) as a measure of disciplinary action by the Institute or
 - (iii) for adopting malpractice at an examination and consequently awarded an X-grade, may re-register for the subject(s) after the term of the debarment expires, provided that other provisions of this regulation do not prevent him/her from registration.
- **4.3.5.10** Eligible students opting for **improvement** of subjects must forward their application through faculty advisor to HoD to the Academic Section (and / or Exam Cell). The approval of registration of those subjects will be completed after the recommendation of HoD and faculty advisor.

4.3.6 De-registration

- **4.3.6.1** The student can be de-registered in a subject of a semester by the concerned teacher on the ground of poor attendance. If a student does not have a minimum of 80% attendance in a subject, he/she can be deregistered from the subject at the discretion of the subject teacher. Only one-time deregistration of a subject is permissible and no revocation of the deregistered subject is admissible, except on medical grounds.
- **4.3.6.2** Email warning should be given to the students by the subject teacher (cc to counsellor, faculty advisor, HoD) prior to deregistration.
- **4.3.6.3** The deregistration process shall commence after Mid-Semester Examination.
- **4.3.6.4** The deregistration process should be completed and informed (through a letter) to Academic Section (and / or Exam Cell) one week before the commencement of the End Semester Examination.

4.3.7 Change of Branch

Change of the branch is a **privilege and not a right**. Only those students admitted to B. Tech. program through JEE (Advance) are eligible to be considered for a change of branch after the 2nd semester as per the following rules. However, if any branch specific mandatory core course(s) is/are floated within first two semesters (1st semester and

 2^{nd} semester) then change of branch option will not be entertained. To be eligible for consideration for a change of branch the following conditions must be fulfilled.

- **4.3.7.1** He/she must have completed all the credits prescribed in the first two semesters of the course, in his/her first attempt, without having had to pass any course requirement in the re-examination, supplementary examination and/or summer quarter.
- **4.3.7.2** He/she must have obtained a Cumulative Grade Point Average (CGPA) not lower than 8.5 at the end of the Second (Spring) Semester.
- **4.3.7.3** He/she must not have been punished for any offence by the Standing Institute Disciplinary Committee or the Committee on Prevention of Examination Malpractices at any time prior to the notification for the change of branch.
- **4.3.7.4** Change of branch shall be made strictly on the basis of inter-se-merit of the applicants. For this purpose, the CGPA obtained at the end of the Second (Spring) Semester shall be considered.
- **4.3.7.5** In making the change of branch, those applicants shall be first considered who have secured a rank within top 1% (one percent), rounded to the nearest integer, amongst all the first year students in terms of the CGPA scored at the end of the Second (Spring) Semester
- **4.3.7.6** The remaining applicants may be allowed a change of branch, strictly in order of inter se merit, subject to the limitation that the actual number of students in the Third (Autumn) Semester, in the branch to which the transfer is to be made, does not exceed 110% of the sanctioned yearly intake for that branch. The sanctioned yearly intake of a particular branch shall be the number sanctioned by the Senate as the intake for that branch for the particular year of entry of the applicants. To compute the total number of students in the first year, sum of the sanctioned yearly intake of all the branches will be taken. For the purpose of calculating the actual number of students in a particular branch, the number of students joining the branch is to be considered.
- **4.3.7.7** All changes of branch will be final and binding on the applicants. No student will be permitted, under any circumstances, to refuse the change of branch offered.
- **4.3.7.8** The academic section will notify the students and display on the notice boards about the changes of the branch at least 7 (seven) days before the assigned date(s) of the registration of the third (Autumn) semester. However, all changes of branch made in accordance with the above rules will be effective from the Third (Autumn) Semester of the applicants concerned. No changes of branch shall be permitted there after.
- **4.3.7.9** Application for a change of branch must be made by facilitating the eligible students, when the notification is made, during the Spring Semester of the Academic Year. The students have accordingly to (i) apply online/offline (as notified) and (ii) submit a signed copy to academic section (and / or Exam cell) by the specific date notified for verification and consideration.

4.3.8 Academically weak students

Such students will be divided into two categories based on their CGPA (calculated on the basis of Total Credit Taken)

- (a) **Category A**: Students with CGPA less than 6.00 (CGPA < 6.00).
- (b) Category B: Students having more than two backlogs / unregistered subjects (regardless of CGPA).
- **4.3.8.1** The faculty advisor along with counsellor will announce a meeting date every month and it will be mandatory on the part of the students to attend these meetings. During the meeting the problems of the student will be discussed and measures to improve their academic performance suggested. A report of these meetings must be prepared by the counsellor and be recorded for future verification.

CHAPTER – 5 SCHOLARSHIPS AND ASSISTANTSHIPS (SECTION-34 (E) OF IIPE ACT, 2017)

Institution of Fellowships, Assistantships, Medals and Prizes

5.1 The Board may institute from time to time Fellowships, Scholarships, Assistantships, Medals and Prizes for awarding them to its students at undergraduate, postgraduate, research and post-doctoral and other levels.

- 5.2 The Institute shall decide the value, number and conditions of award for each of them from time to time.
- 5.3 In addition to the funds of the Institute for the above mentioned purposes, funds received from donations may also be utilised.
- 5.4 The Director shall decide in consultation with the Senate, the eligibility and guidelines for administering the Merit-cum-Means assistance to the meritorious students.
- 5.5 The institute shall allow students to avail scholarships awarded by external Government / non-Government organizations (such as central sector scholarship schemes, scholarships from state Government, scholarships from private trusts etc.), provided they do not come into conflict with any ordinance or rules of the institute.
- 5.6 The institute shall accept donations from individuals and organizations to set up scholarships according to prescribed procedures if it is felt that they will promote academic activities in the institute and will lead to general growth of the institute. The norms and conditions for the institution of such scholarships shall require approval of the Board of Governors.

CHAPTER - 6

CONDITIONS AND MANNER OF APPOINTMENT AND DUTIES OF EXAMINATION BODIES, EXAMINER, MODERATORS AND CONDUCT OF EXAMINATION (SECTION 34 (F) & (G) OF IIPE ACT, 2017)

6.1 Institute currently follows one Mid - semester and one End - semester examination pattern for evaluation and grading purposes of all the courses along with quizzes, home assignment and term papers etc. The weightage of each of the examination and tests vary from course to course and is at the discretion of the instructor. Typically, the mid - semester examinations are conducted after four to five weeks of deliberating the lecture sessions from the beginning of the semester. The institute or the academic office generally doesn't moderate the question paper set by the instructor for various examinations. The instructor of the course is the examiner of various examinations and tests are conducted throughout the semester. Occasionally he or she may seek the help of teaching assistants for the conduct and evaluation of the examination papers. Typically, a fixed grading pattern is followed for different courses, though the grading pattern purely depends on the instructor. If necessary, the academic office may do the grade moderation after receiving the grades form the instructor.

6.2 Duties of Examiner.

The examiner is responsible for setting the question paper, invigilation during the examination, evaluating the answer book, discussing the mode and way of answering the questions, discussing the key / solutions for the problems posed in the Question paper, the right and wrong answers in the evaluated answer book - all these are dealt with the students as a means of advise and guidance and finally awarding the grades to the students based on their performance.

CHAPTER – 7 MAINTENANCE OF DISCIPLINE AMONG THE STUDENTS OF THE INSTITUTE (SECTION-34 (H) OF IIPE ACT, 2017)

- 7.1 Each student shall conduct himself, both within and outside the campus of the Institute, in a manner befitting as a student of an Institute of National Level and importance. No student is expected to indulge in any activity which tends to bring down the dignity, prestige and honour of the Institute. Each student shall show due respect and courtesy to the teachers, administrators, officers and employees of the Institute and, good neighborly behavior with their fellow students. They should also pay due attention and courtesy to the visitors, dignitaries visiting the campus and residents of the campus.
- 7.2 Lack of courtesy and decorum; unbecoming conduct (both within and outside the Institute); willful damage or removal of Institute property or stealing the belongings of a fellow student; disturbing fellow students in their studies; adopting unfair means during examinations; breach of rules and regulations of the Institute; noisy and unseemly, unruly behaviour and similar other undesirable activities shall constitute violation of the Code of Conduct of students.
- **7.3** Violation of the Code of Conduct of students by any student, shall invite disciplinary action and may merit punishment, such as reprimand, disciplinary probation, fine, debarring from the examination, debarring from the use of placement services, withholding of grades, withholding of degree, cancellation of registration and even dismissal from the Institute.

- 7.4 The Warden-in-Charge of the concerned Hall of Residence (Hostel) shall have power to reprimand or impose fine or take any other such suitable measure against any resident of the Hall, who violates either the rules and regulations or the Code of Conduct pertaining to the concerned Hall of Residence.
- 7.5 The Instructor-in-Charge of a course shall have the power to debar a student from the examination in which the student is detected to be using unfair means. The Instructor/Tutor shall have the power to take appropriate action against a student who attempts to misbehave in the class room, Laboratory etc.
- **7.6** Ragging, in any form, is strictly prohibited and any violation shall be considered as a serious offence, leading even to dismissal from the Institute or even may lead to the extent of filing a criminal case against the one who committed such an offense.
- 7.7 The Senate shall constitute a Standing Committee to investigate the alleged misdemeanour reported and recommend a suitable course of action. The Senate shall also prescribe the procedure for dealing with the recommendations of this Committee.
- **7.8** Violation of the Code of Conduct of students, by a student or a group of students can be referred to this Committee by any student or a teacher and the Director or any other functionary of the Institute.
- **7.9** Under exceptional circumstances, the Chairman, Senate may appoint a Special team to investigate.
- **7.10** Disciplinary Committee to investigate and/or recommend the action to be taken in case of any act of gross indiscipline involving a large number of students which may tarnish, mar or demean the image of the Institute.
- **7.11** The case of a defaulting student recommended for dismissal from the Institute shall ordinarily be referred to the Senate for its final decision.
- **7.12** A defaulting student who feels aggrieved with the punishment awarded may submit an appeal to the Chairman, Senate stating clearly the reasons why the punishment should not be awarded. The Senate shall prescribe the procedure to process such an appeal.
- **7.13** A student who is found guilty of some major offence may not be recommended by the Senate to the Board of Governors for the award of a degree even if all the academic requirements have been satisfactorily completed by the student concerned.

CHAPTER 8

FEE TO BE CHARGED FOR COURSES OF STUDY AT THE INSTITUTE AND FOR ADMISSION TO THE EXAMINATIONS (SECTION-34 (I) OF IIPE ACT, 2017)

- **8.1** The students seeking admission in undergraduate, postgraduate and doctoral programmes shall deposit fees at the time of admission and at registration for further semesters.
- 8.2 The fresh batch of students of B. Tech., M. Tech., and Ph. D. shall pay fees as specified hereunder:

Duo outommo o o —>	B. Tech.	M. Tech.	Ph. D.
Programmes→	(Per Semester)	(Per Semester)	(Per Semester)
Fees	Rs. 75000/-	Course not yet started	Course not yet started

CHAPTER – 9 CONDITIONS OF RESIDENCE OF STUDENTS OF THE INSTITUTE (SECTION-34 (J) OF IIPE ACT, 2017)

- 9.1 IIPE Visakhapatnam is a residential Institute and, therefore, every registered student shall reside in a room assigned to him in one of the Halls of Residence / Hostel. In exceptional cases, the Director may permit a student to reside with his or her parent/local guardian. Such students shall, however, pay full seat rent and such other dues as may be prescribed from time to time. Part time students are not eligible for accommodation in the Halls of residences.
- 9.2 For each Hall of Residence / Hostel there shall be a Warden and the Competent Authority may nominate or appoint the Wardens and other staff from time to time, as approved by the Board of Governors. The members of the academic staff of the Institute shall hold the office of the Warden-in-Charge and the Wardens of respective Halls of

Residence,. The Director shall make these appointments. The Warden of a Hall shall be responsible for managing the residential status of the students effectively and efficiently.

- **9.3** Every student residing in a Hall shall join the Mess provided in that Hall. However, the Warden may exempt an individual student from the Hall Mess on medical grounds for a specified period.
- **9.4** Each Hall of Residence shall have a Hall Executive Committee (HEC). The constitution of the HEC and its functions shall be as decided by the Competent authority and approved by Senate.
- **9.5** Every resident shall be personally responsible for the safe up-keep of the furniture and other items supplied to the resident and will be charged for any damage or loss caused or his/ her negligence/ indifferent conduct during his stay or occupancy of the room allotted to him/her
- **9.6** Every resident must pay the mess bill by the due date, announced by the Warden.
- **9.7** Failure to deposit the dues in time may result in fine or such other penalty as the Warden may deem fit. Even the registration of a student may be cancelled in case of failure to clear the mess dues within 30 days of the due date.
- **9.8** Besides the payment of mess dues, every resident shall also pay establishment charges every month at the rate prescribed from time to time by the Warden-in-charge. This is in addition to the mess establishment charges payable to the Institute.
- **9.9** Residents shall respect the right of each individual to express his/her ideas, pursue his/her interests and follow the style of life most meaningful to him/her. However, party based political campaigning is prohibited within the campus or even out side campus by the residents.
- **9.10** Visitors of the opposite sex are strictly prohibited to enter the residential blocks of the Halls at any time.
- **9.11** Use of liquor, drugs, or any other intoxicants in the Hall premises is strictly prohibited.
- **9.12** Every resident shall comply with all the rules and regulations of the Halls of Residence as may be in force from time to time. The Warden shall take necessary action against the defaulters.

Note: Presently, the Institute is running under leased accommodation and Hostels are run under rented buildings which are being monitored by the Wardens of the Hostels who are the faculty of the Institute. As and when, the construction activities of the Institute are completed, the Hostels will be shifted to the Permanent residential campus of the Institute. The rules and regulations promulgated by the Institute, approved by BoG of IIPE shall be inforce until the campus is shifted to its own premises.

Date: 22nd October, 2020

Registrar

 $[ADVT.\hbox{-}III/4/Exty./326/2020\hbox{-}21]$